

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वार्षिक
रिपोर्ट
2021-2022

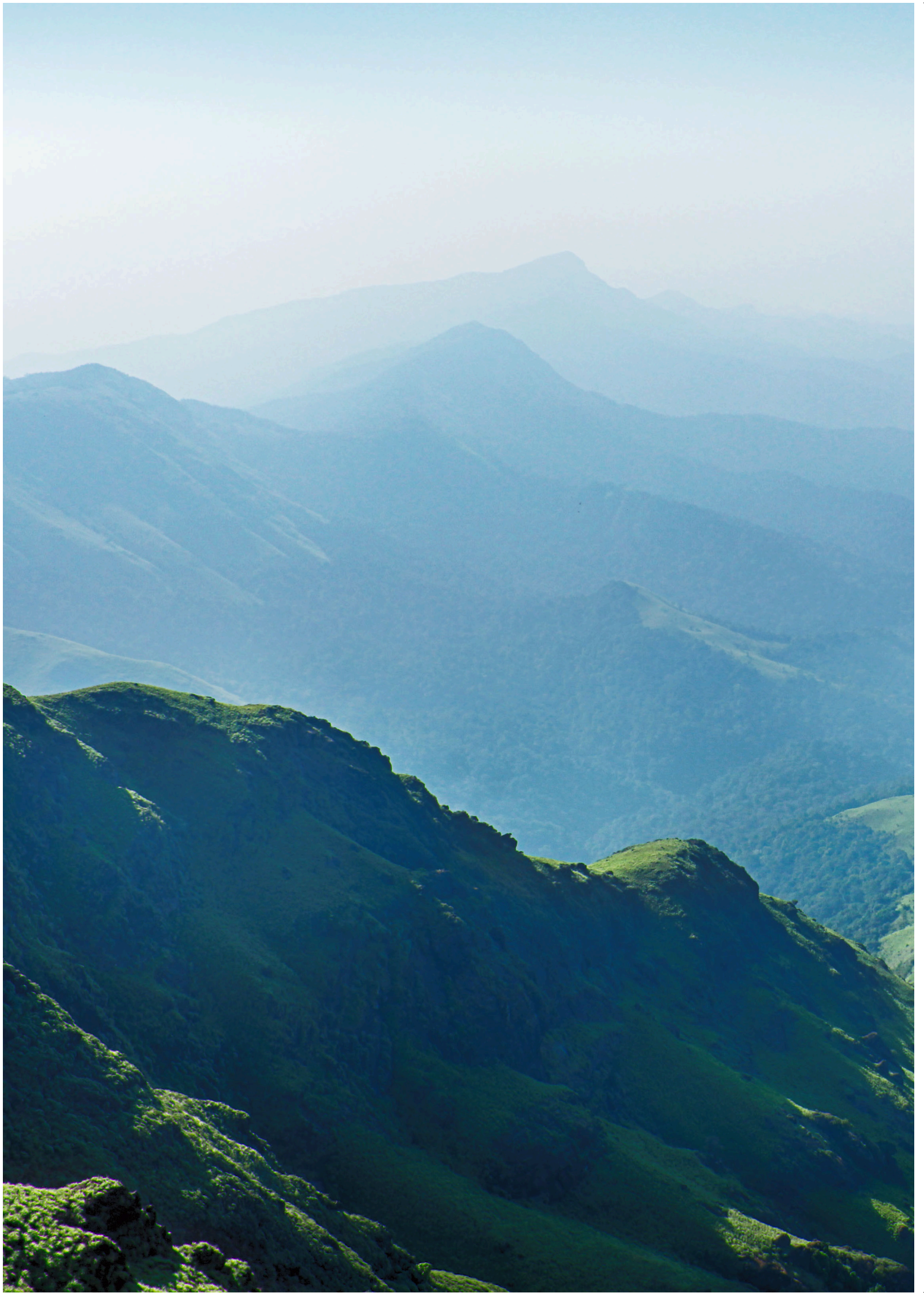


राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022





मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार



MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV



संदेश

भारत ने जैव-विविधता पर कन्वेंशन के तीन उद्देश्यों, अर्थात् जैव-विविधता का संरक्षण; जैव-विविधता के घटकों के सतत उपयोग; तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को समुचित और तर्कसंगत रूप से साझा करने को कार्यान्वित करने के लिए जैव-विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया। राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के लिए भारतीयों और गैर-भारतीयों द्वारा भारत के जैव-संसाधनों और तत्संबंधी ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करता है, जैसे भारत से प्राप्त किसी जैव-संसाधन पर अनुसंधान के लिए पहुंच, वाणिज्यिक उपयोग और किसी अनुसंधान अथवा जानकारी के आधार पर आविष्कारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना।

सरकार ने उपर्युक्त प्रयास को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना की। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है जो एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना, अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य जैव-विविधता बोर्ड (एसबीबी)/संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता परिषद (यूटीबीसी) और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के माध्यम से जैव-विविधता से संबंधित मामलों से निपटने और जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। वर्ष 2021-22 के लिए एनबीए की वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न स्तरों पर अधिनियम, नियमों और विनियमों के सफल कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है।

मौजूदा विनियामक को सरल बनाने हेतु, एनबीए को प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर कार्रवाई के समय को कम करते हुए आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए एनबीए ने एक "एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ई-फाइलिंग पोर्टल" विकसित किया है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि वर्ष 2021-22 के अंत तक देश भर में स्थानीय स्तर पर 2,76,836 बीएमसी स्थापित किए गए हैं तथा 2,66,102 जन जैव-विविधता रजिस्टर तैयार किए गए हैं।

मैं एनबीए, एसबीबी, यूटीबीसी, बीएमसी और उन सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्होंने इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट पर पर व्यापक ध्यान दिया जाएगा।

तारीख : 07.07.2023

(भूपेन्द्र यादव)





सत्यमेव जयते

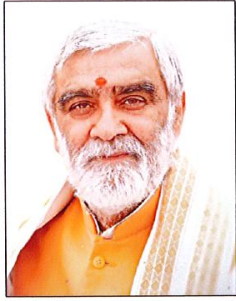
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः



एक कदम स्वच्छता की ओर

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey



संदेश

राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना वर्ष 2003 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका कार्य जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करना है। एनबीए भारत सरकार के लिए संरक्षण, संधारणीय उपयोग और पारंपरिक ज्ञान सहित जैव-संसाधनों और संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समुचित और तर्कसंगत संविभाजन के मुद्दों पर सुविधाजनक, विनियामक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के अनुसार संकलित किया गया है। यह रिपोर्ट इस अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में एनबीए, राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी), संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) के कार्यकलापों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस प्राधिकरण ने चार बार बैठक की, विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, एनबीए सचिवालय को जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 12 और जैव-विविधता नियमावली, 2004 के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और क्रियान्वित करने के लिए निर्देश और सलाह दी। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनबीए ने अनुसंधान/व्यावसायिक उपयोग के लिए जैव-संसाधनों तक पहुंच, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकार और तृतीय पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित 2979 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवधि के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 1160 अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं और 'कन्वेन्शन ऑन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी' के 'एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग क्लियरिंग हाउस प्लेटफॉर्म' पर अपलोड किए गए हैं।

मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैव-संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समुचित और तर्कसंगत संविभाजन में शामिल सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगी।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-20819418, 011-20819421, फ़ैक्स : 011-20819207, ई-मेल : mos.akk@gov.in

Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akk@gov.in

कार्यालय : कमरा नं. 173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23380630, फ़ैक्स : 011-23380632

Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632

निवास : 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-23794971, 23017049

Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049





सत्यमेव जयते



लीना नन्दन
LEENA NANDAN



सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

प्राक्कथन

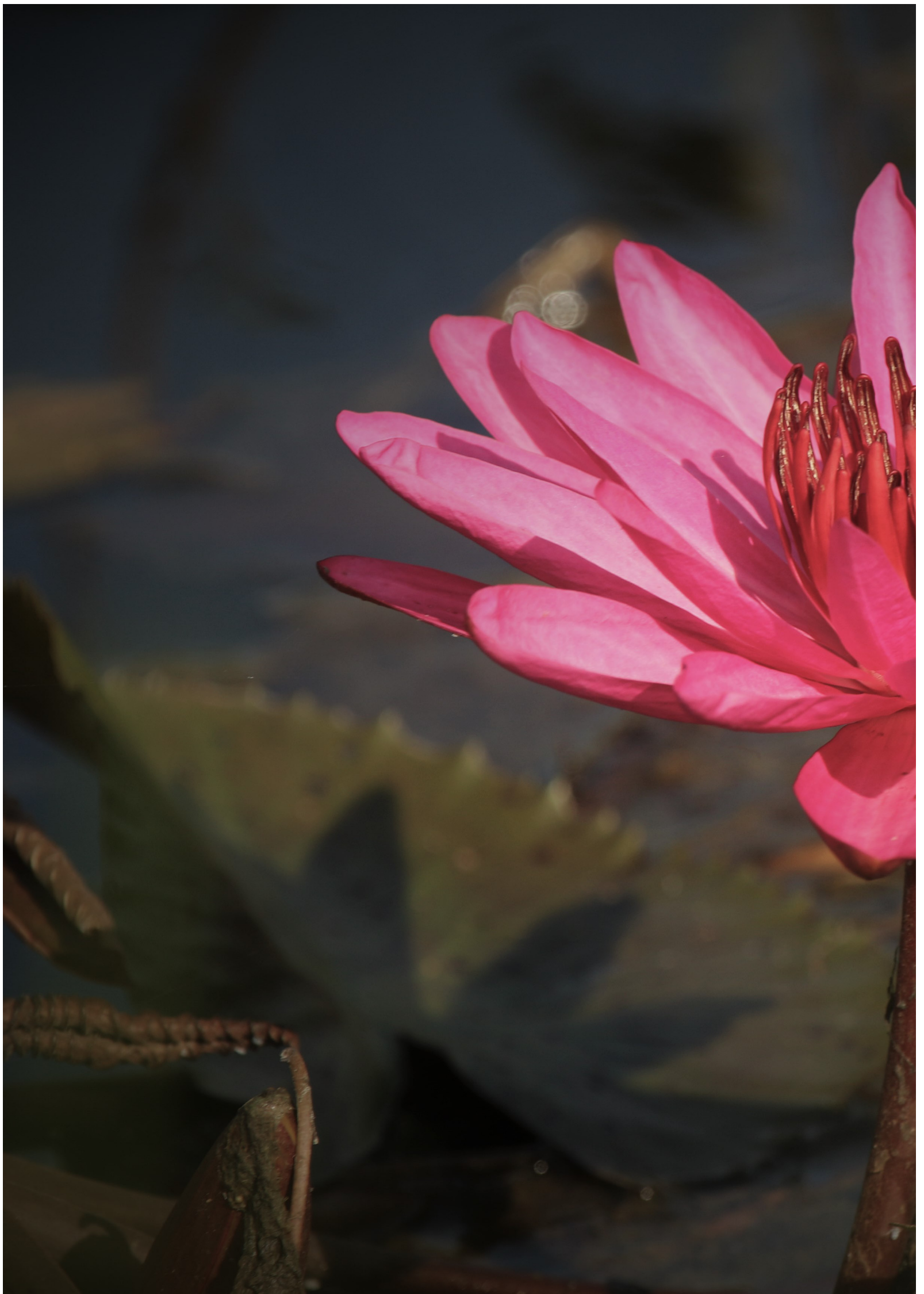
भारत ने जैव विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में जैव-विविधता अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए इस अधिनियम की धारा 8 के तहत वर्ष 2003 में चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के मुख्यालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत एनबीए परिकल्पित गतिविधियों को नियंत्रित करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करता है एवं जैव-विविधता संरक्षण, उसके सतत उपयोग और जैव-संसाधनों के समुचित और एक समान संविभाजन से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। यह वार्षिक रिपोर्ट भारतीय जैव-संसाधनों के संरक्षण और इन जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के समुचित और एक समान संवितरण के लिए जन-सामान्य को कानूनी निश्चितता प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान एनबीए द्वारा किए गए कार्यकलापों पर प्रकाश डालती है।

यह सहारणीय है कि एनबीए ने देश में जैविक-विविधता प्रबंधन समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 17 भारतीय भाषाओं में 'जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के संबंध में सरल रूप से प्रतिपादित सीरीज़, नाम से मल्टीमीडिया फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू की है। एनबीए जैव-विविधता प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ बनाने, जन जैव-विविधता रजिस्टर तैयार करने और उनका डिजिटलीकरण करने एवं जैव-विविधता विरासत स्थलों की पहचान करने और अंत में जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को साझा करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखा है।

मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के दौरान एनबीए द्वारा निष्पादित विभिन्न गतिविधियों की एक व्यावहारिक जानकारी प्रदान करेगी।

जुलाई 13, 2023


(लीना नन्दन)



प्रस्तावना



मुझे 2021-2022 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने रखते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसके दौरान जैव विविधता अधिनियम, 2002 और संबंधित कानूनी साधनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयासों को और गति मिली।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2021 का राष्ट्रीय स्तर का समारोह 22 मई 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा एनबीए के साथ समन्वय में वर्चुअल मोड में “हम समाधान का हिस्सा हैं” विषय पर आयोजित किया गया था। श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी अध्यक्षता की। श्री बाबुल सुप्रियो, राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उद्घाटन संबोधन दिया और यूएनडीपी इंडिया की निवासी प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने आरंभिक टिप्पणी प्रस्तुत किया। इसमें अच्छी सहभागिता थी और यह आयोजन विशेष रूप से युवाओं के बीच संरक्षण के मुद्दों की एक श्रृंखला के बारे में बड़ी मात्रा में जागरूकता पैदा करने में सक्षम रहा है। इस कार्यक्रम में शोधकर्ताओं के लिए एबीएस पर नैतिक आचार संहिता पर एनबीए-एमओईएफसीसी-यूएनडीपी ज्ञान उत्पादों, भारत में एबीएस पर एक पुस्तिका और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एबीएस के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों के लिए निगरानी दिशानिर्देशों का शुभारंभ भी किया गया। एनबीए और जीआईजेड ने संयुक्त रूप से 17 भारतीय भाषाओं में “जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर सरल व्याख्या श्रृंखला” (Simply explained series on Biological Diversity Act, 2002) नामक मल्टीमीडिया फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू किया।

मुझे बड़ी संख्या में हितधारकों और पेशेवरों और विशेष रूप से माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एमओईएफसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राधिकरण के सदस्यों, राज्य वन विभागों, एसबीबी और यूटीबीसी के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों, विभिन्न एनबीए समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए एनबीए की ओर से गहरी प्रशंसा और आभार रिकार्ड करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिसने एनबीए को अपने जनादेश और सौंपे गए कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। मैं एनबीए को आगे ले जाने हेतु उनके बहुमूल्य प्रयासों के लिए एनबीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करना चाहूंगा।

चेन्नई

(डॉ. वि.बि.माथुर)
अध्यक्ष, एनबीए



अभिस्वीकृति



राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार संकलित की गई है। रिपोर्ट में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में एनबीए की गतिविधियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। राज्य जैव विविधता बोर्डों द्वारा किए गए कार्यक्रमों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान सुझावों को स्वीकार करता हूँ। वह इस रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा और समर्थन का एक निरंतर स्रोत रहे हैं।

मैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की गतिविधियों को निरंतर समर्थन देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और मार्गदर्शन को लागू करने के लिए एनबीए को प्रदान किए गए मार्गदर्शन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को संकलित करने में राज्य जैव विविधता बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की पूरक भूमिका को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं एनबीए की विस्तृत लेखा परीक्षा करने और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक (वैज्ञानिक लेखा परीक्षा) को भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं वाषक रिपोर्ट तैयार करने और उसे प्रकाशित करने में एनबीए सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की तहे दिल से सराहना करता हूँ।

जे. जस्टिन मोहन
सचिव, एनबीए



अंतर्वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	1
1	प्रस्तावना	5
2	प्राधिकरण, सांविधिक निकायों का गठन और कार्य	7
3	प्राधिकरण की बैठकें	13
4	जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण को विनियमित करने के लिए गतिविधियाँ	19
5	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदान किया गया अनुमोदन	23
6	आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय	27
7	जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुमोदन	29
8	बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 से संबंधित जागरूकता और जन भागीदारी.	31
9	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के अंतर्गत जारी विनियम	35
10	वित्त और लेखा	37
11	वार्षिक योजना 2022–2023	41
12	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	43
अनुलग्नक		
1	प्राधिकरण के अध्यक्ष	75
2	संगठन चार्ट	76
3	भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या	77
4	सिटिजन चार्टर	78
5	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	81



कार्यकारी सारांश

जैविक विविधता या जैव विविधता हमारे ग्रह की सबसे जटिल और अनूठी विशेषता में से एक है। संक्षेप में जैव विविधता, सभी जीवित जीवों और पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्म जीवों सहित प्रजातियों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है।

रियो डी जनेरियो में आयोजित 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और जैव विविधता के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के उद्देश्यों के साथ पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी कानूनी साधन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) को अपनाया। नतीजतन, भारत ने 2002 में जैव विविधता (बीडी) अधिनियम बनाया और 2004 में जैव विविधता नियमों को अधिसूचित किया। बीडी अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना का गठन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बीडी अधिनियम को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 8 के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना की गई थी, जो शीर्ष निकाय है और जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। दूसरे और तीसरे स्तर में क्रमशः राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन किया गया है।

एनबीए अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियों को विनियमित करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करता है और जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

एनबीए, भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में, एक समर्पित और लक्ष्य-उन्मुख योजना का पालन कर रहा है। रिपोर्टिंग अवधि 2021-22 के दौरान प्रगति और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताओं को यहां संक्षेप में रेखांकित किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

2021-22 के दौरान, प्राधिकरण ने चार बार बैठकें कीं, विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, एनबीए सचिवालय को बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार कार्रवाई शुरू करने और कार्यान्वित करने का निर्देश और सलाह दिया।

एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस पर ईसी) पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसने चार बार बैठक की और पहुंच और लाभ साझा करने पर 108 आवेदनों का मूल्यांकन किया और प्राधिकरण को सिफारिशें प्रदान कीं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, अनुसंधान/वाणिज्यिक उपयोग, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों और तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए जैविक संसाधनों की पहुंच से संबंधित 872 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस दौरान कुल 2979 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एनबीए को 2021-2022 के दौरान लाभ-साझाकरण घटक के रूप में रु. 40,90,67,722 की

राशि प्राप्त हुई, जिसमें अग्रिम भुगतान, वाणिज्यिक उपयोग और रॉयल्टी आदि शामिल हैं। रिपोर्टिंग के दौरान एनबीए ने 17 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 1 केंद्रीय जैव विविधता परिषदों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूटीबीसी चंडीगढ़) को रु. 1,01,30,653 संबंधित क्षेत्र के जैविक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संबंधित लाभ दावेदारों को इसका वितरण करना के लिये जारी किए। भारत नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्ष होने के नाते, एनबीए ने 2021-22 के दौरान अनुपालन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र तैयार करने वाले एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दी गई 1160 मंजूरीयों का विवरण अपलोड किया है।

राज्य स्तर पर बीडी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन स्थानीय निकाय स्तर पर एसबीबी की स्थापना करके शुरू किया गया था। 2021-22 के अंत में, स्थानीय स्तर पर 2,76,836 बीएमसी का गठन किया गया था और पूरे देश में 2,66,102 पीबीआर तैयार किए गए हैं।

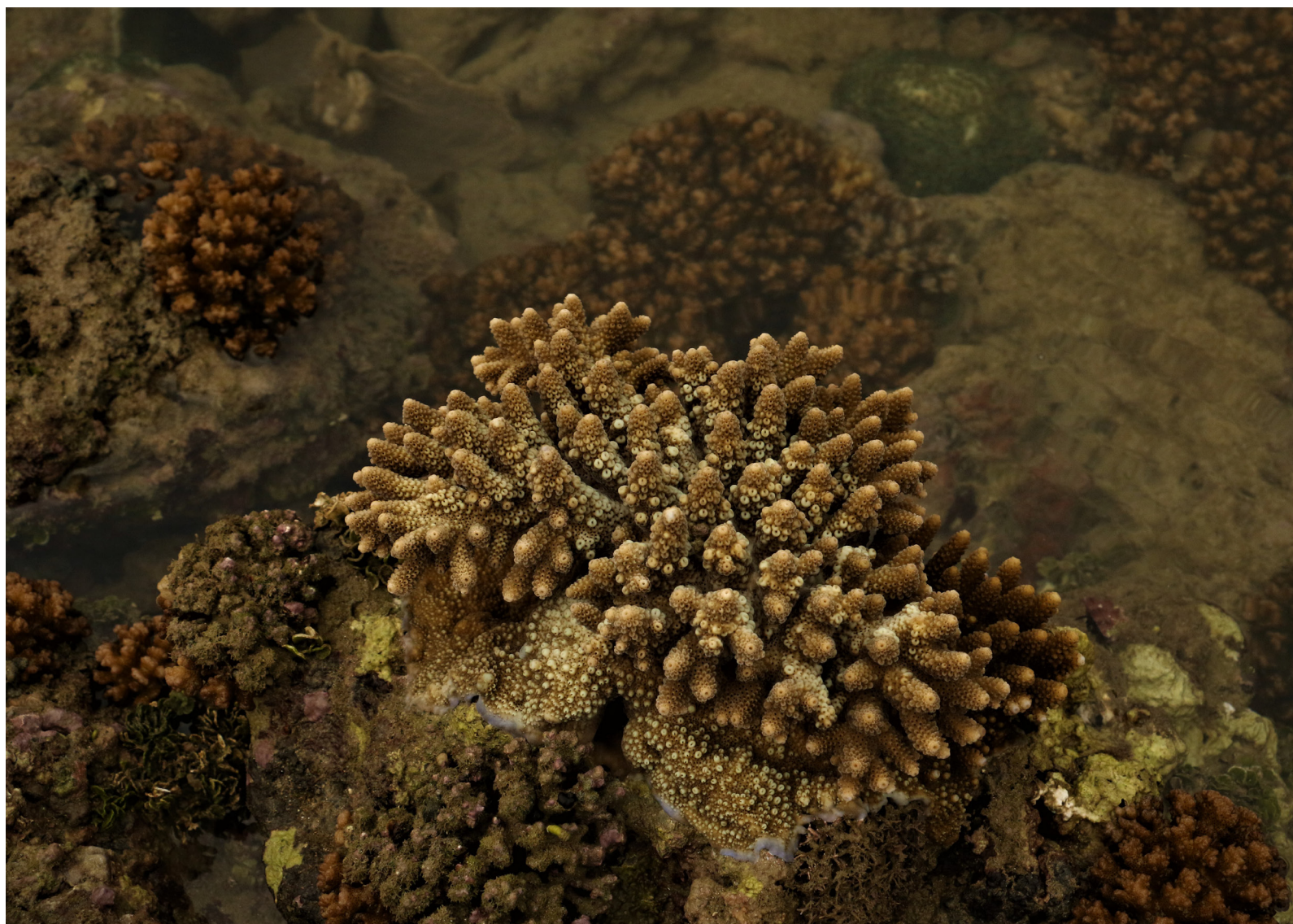
पूरे देश में बीएचएस की संख्या को 22 मानते हुए पश्चिम बंगाल में बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के तहत एक जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) अधिसूचित किया गया है। एनबीए ने 2021-22 के दौरान आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पीयर-टू-पीयर लर्निंग एक्सचेंज विजिट, ज्ञान सामग्री के मुद्रण और प्रसार, विषयगत विशेषज्ञ समिति के गठन और संबंधित राज्यों के लिए वेबसाइट रखरखाव जैसे संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सहायता अनुदान द्वारा लगभग सभी एसबीबी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझने और बातचीत करने के लिए एसबीबी की मासिक समीक्षा बैठकें की गईं।

22 मई 2021 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2021 के राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन एनबीए के समन्वय में वर्चुअल मोड में "हम समाधान का हिस्सा हैं" विषय पर किया गया था। माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की। श्री बाबुल सुप्रियो, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और यूएनडीपी इंडिया की रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने संबोधन भाषण दिया।

कार्यक्रम के दौरान, एनबीए और जीआईजेड ने संयुक्त रूप से 17 भारतीय भाषाओं में जैव विविधता अधिनियम, 2002 पर सुगमतापूर्वक व्याख्या की गई श्रृंखला (Simply explained series on Biological Diversity Act, 2002) नामक मल्टीमीडिया फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू की। जो एमओईएफसीसी, एनबीए और जीआईजेड के द्वारा कार्यान्वित एबीएस सहभागिता के अंतर्गत निर्मित की गई। देश में बीएमसी के प्रशिक्षण के लिए एनबीए-एमओईएफसीसी-जीआईजेड द्वारा ज्ञान उत्पादों का एक सेट भी लॉन्च किया गया था। इस आयोजन में शोधकर्ताओं के लिए एबीएस पर नैतिक आचार संहिता पर एनबीए-एमओईएफसीसी-यूएनडीपी ज्ञान उत्पादों, भारत में एबीएस पर एक पुस्तिका और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एबीएस के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों के लिए निगरानी दिशानिर्देशों का शुभारंभ भी किया गया।

इस अवसर पर जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम के तीसरे चक्र और भारत जैव विविधता पुरस्कारों के छठे चक्र के आह्वान की भी घोषणा की गई। भारत से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए यूएनडीपी और एमओईएफसीसी द्वारा अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) पर नई पहल के लिए एक रिपोर्टिंग पोर्टल आधिकारिक तौर पर खोला गया था। सभी श्रेणियों में भारत जैव विविधता पुरस्कारों के 5 वें चक्र के विजेताओं की भी घोषणा की गई।

2021-22 की इस वार्षिक रिपोर्ट में 2021-22 के लिए वार्षिक लेखे और 2022-23 के लिए वार्षिक योजना भी शामिल हैं।





अध्याय 1

प्रस्तावना

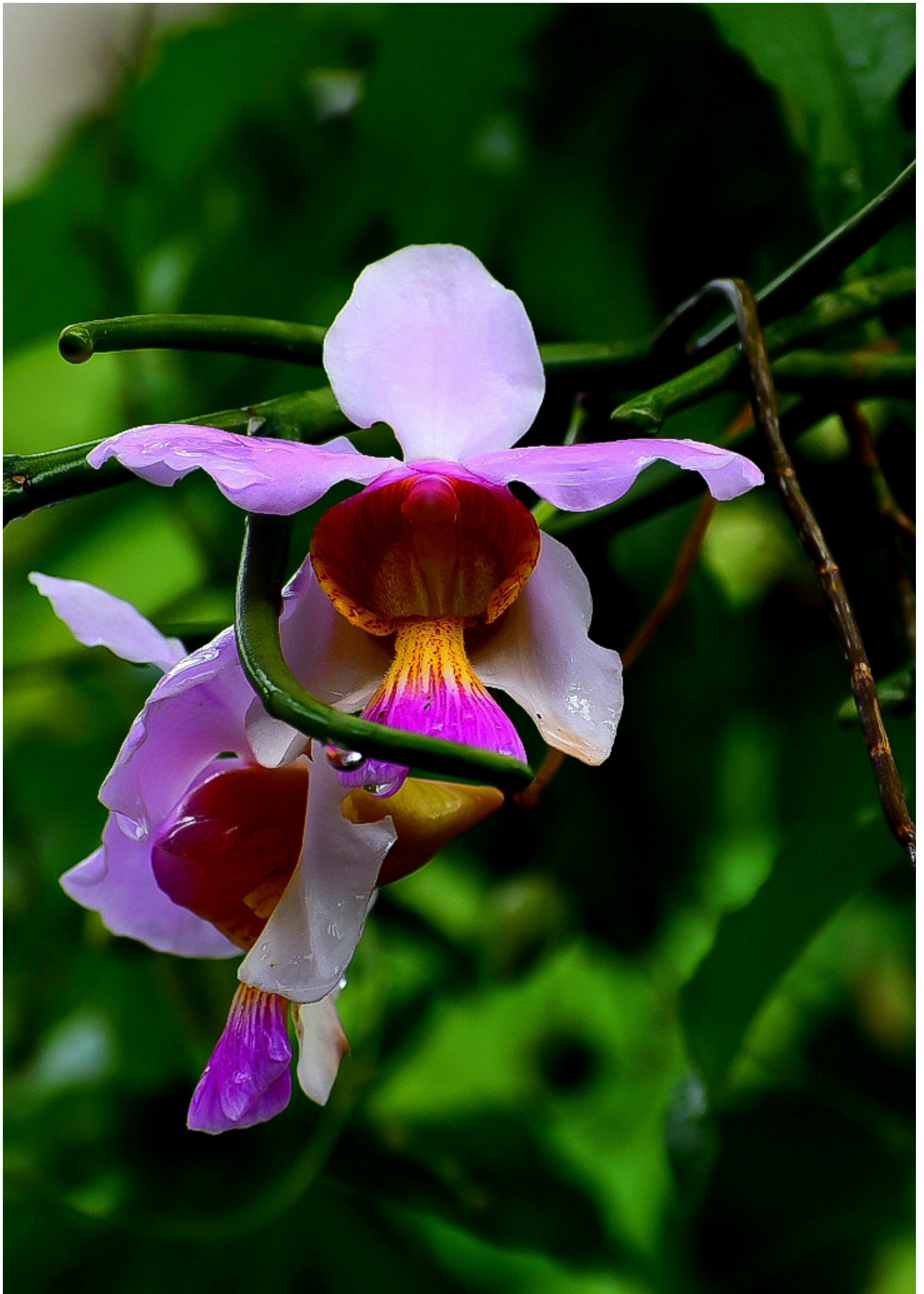
जैविक विविधता या जैव विविधता हमारे ग्रह की सबसे जटिल और अनूठी विशेषता में से एक है। संक्षेप में जैव विविधता, सभी जीवित जीवों और पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्म जीवों सहित विभिन्न प्रजातियों की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है।

प्रजातियों की समृद्धि के मामले में भारत दुनिया के 17 मेगा-विविध देशों में 8 वें स्थान पर है। भारत में पौधों की लगभग 54,733 से अधिक प्रजातियां और जानवरों की 1,02,718 से अधिक प्रजातियां हैं। भारत जीवों में भी समृद्ध है और रिकॉर्ड की गई उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62 प्रतिशत भारत के लिए स्थानिक हैं, जिनमें से एक प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पुष्प और जीव विविधता दोनों की सूची निरंतर सर्वेक्षण और अन्वेषण के माध्यम से नई प्रजातियों की कई खोजों के साथ उत्तरोत्तर अद्यतित की जाती है।

जैविक संसाधन लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भारत के मामले में आवश्यक है जहां आबादी का एक बड़ा समूह अभी भी बढ़े हुए भोजन, पोषण और आर्थिक निर्वाह के लिए स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर निर्भर है। इससे भारत की जैव विविधता पर भारी दबाव पड़ा है क्योंकि जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है और तेजी से आर्थिक विकास हुआ है।

जैव विविधता संरक्षण आनुवंशिक विविधता और प्रजातियों की विविधता, पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और प्रबंधन को दर्शाता है। संरक्षण इन में हो सकता है, जो प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण को संदर्भित करता है और पूर्व सीटू, जिसमें प्रजनन खेतों, वनस्पति उद्यानों और जीन बैंकों जैसी सुविधाओं में खतरे वाली प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है जहां आनुवंशिक सामग्री संरक्षित है।

एनबीए जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और न्यायसंगत साझेदारी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। यह गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। इसी तरह, राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों को सलाह देता है। बीएमसी जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में आवासों का संरक्षण, लैंडरेस, लोक किस्मों और किस्मों, पालतू स्टॉक और जानवरों और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की नस्लों का संरक्षण शामिल है।



अध्याय 2

प्राधिकरण, सांविधिक निकायों का गठन और कार्य

2.1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) का नेतृत्व एक अध्यक्ष करते हैं, जो जैव विविधता के सतत प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव रखने वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के दस पदेन सदस्य और पांच गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं जो जैव विविधता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ हैं।

2.1.1. बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (ए) के तहत नियुक्त अध्यक्ष

डा. वि.बि. माथुर, एक वन्यजीव जीवविज्ञानी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व निदेशक, एनबीए के अध्यक्ष के रूप में बने रहे और वे सीबीडी और आईपीबीईएस पर एक ब्यूरो सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किये।

2.1.2. बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के अंतर्गत एमओईएफएंडसीसी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्यों की नियुक्ति

केंद्र सरकार द्वारा तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें दो एमओईएफसीसी का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करते हैं – वन के अतिरिक्त महानिदेशक और भारत सरकार के संयुक्त सचिव और एक जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है जो संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी होता है।

2.1.3. बीडी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (सी) के अंतर्गत नियुक्त अन्य पदेन सदस्य

केंद्र सरकार सात अन्य पदेन सदस्यों की नियुक्ति करती है जो संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी के रैंक में हैं और इन क्षेत्रों में निम्नलिखित विभागों से विशेषज्ञ होंगे।

1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा
2. जैव प्रौद्योगिकी
3. समुद्र विकास

4. कृषि और सहयोग
5. भारतीय चिकित्सा प्रणाली मेडिसिन और होम्योपैथी
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
7. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

2.1.4. बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (डी) के अंतर्गत नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य

जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों में ठोस ज्ञान और अनुभव रखने वाले वैज्ञानिकों और उद्योग के प्रतिनिधियों, संरक्षणवादियों और जैविक संसाधनों के ज्ञान धारकों में से पांच गैर-आधिकारिक सदस्यों का चयन किया जाता है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य

क्रमांक	पदेन सदस्य
1	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का अधिकारी श्रीमती आर जया, आईएएस, कमरा नंबर 736, ए-विंग, 7वीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001
2	अपर महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री सौमित्र दासगुप्ता, अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
3	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इस विषय से संबंधित संयुक्त सचिव डॉ. एस केरकेट्टा, सलाहकार और वैज्ञानिक जी सीएस-प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110 003
4	कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी संयुक्त सचिव (बीज) कृषि और सहकारिता विभाग, कमरा नंबर 244, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001

5	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ अनामिका गंभीर, वैज्ञानिक एफ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 2, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
6	संयुक्त सचिव या समुद्र विकास विभाग में इस विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का एक अधिकारी	डॉ. एम.वी. रमजामूर्ति, निदेशक, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), एनआईओटी कैंपस, वेलाचेरी – तांबरम मेन रोड, पल्लीकरनी, चेन्नई, तमिल नाडु –600100
7	संयुक्त सचिव या भारत सरकार के समकक्ष रैंक का एक अधिकारी जो कृषि और सहकारिता विभाग में इस विषय से संबंधित है	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) फसल विज्ञान विभाग, भाकृअनुप, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001
8	संयुक्त सचिव या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक का अधिकारी	प्रो (डॉ) तनुजा मनोज नेसारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरी मंजिल, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 110 023
9	संयुक्त सचिव या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष रैंक के अधिकारी	डॉ संजय कुमार निदेशक , हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश 176 061
10	संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में विषय से संबंधित समकक्ष के एक अधिकारी	डॉ अखिलेश गुप्ता, वैज्ञानिक जी, प्रमुख योजना, समन्वय और प्रदर्शन प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110 016

गैर-सरकारी सदस्य	
1	श्री. सी अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त) निदेशक, सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना
2	डॉ. जॉयकुमार मैतेई लैशराम, प्रोफेसर और डीन, कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर
3	प्रो. उन्नत पी. पंडित महानिदेशक— पेटेंट, व्यापार चिन्ह और औद्योगिक डिजाइन, मुम्बई
4	डॉ अलका राव, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर— माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर—आईएमटेक), चंडीगढ़ — 160036
5	श्री. एमएस चैत्र, निदेशक और फेलो, आरोही, बेंगलोर

2.2. एनबीए के कार्य

- ★ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- ★ गतिविधियों को विनियमित करना और बीडी अधिनियम 2002 की धारा 3, 4 और 6 के अनुसार जैविक संसाधनों और या संबंधित ज्ञान और उचित और न्यायसंगत साझाकरण तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करना। (कुछ व्यक्तियों नागरिकों संगठनों को जैविक संसाधनों और या उपयोग के लिए संबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है)।
- ★ भारत से प्राप्त किसी भी जैविक संसाधन या अवैध रूप से भारत से प्राप्त ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान पर भारत के बाहर किसी भी देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुदान का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- ★ जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- ★ जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

2.3. राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)

राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एसबीबी की स्थापना की जाती है। एनबीए केंद्र शासित प्रदेशों में एक एसबीबी की शक्तियों और कार्यों का

प्रयोग करता है। एनबीए अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों या कृत्यों को ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को प्रत्यायोजित कर सकता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एसबीबी में एक अध्यक्ष, संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच पदेन सदस्य और जैव विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित अनुभव रखने वाले पांच विशेषज्ञ शामिल हैं।

2.3.1. एसबीबी के कार्य

- ★ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देना।
- ★ अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा, भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोध को विनियमित करना।
- ★ अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का पालन करना।

2.4. जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी)

बीडी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय निकाय जैव विविधता के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए बीएमसी का गठन कर सकते हैं जिसमें आवासों का संरक्षण, लैंडरेस, लोक किस्मों और किस्मों का संरक्षण, पालतू स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लें और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान का वर्णन शामिल है। प्रत्येक बीएमसी में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामित छह व्यक्ति होते हैं जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होती हैं और 18: अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी से संबंधित होती हैं। मार्च 2022 तक, पूरे भारत में 2,76,836 बीएमसी गठित हैं।

2.4.1. बीएमसी के कार्य

- ★ स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना, उसका रखरखाव करना और अधिप्रमाणन करना।
- ★ अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या एनबीए द्वारा इसे संदर्भित किसी भी मामले पर सलाह प्रदान करना।
- ★ जैविक संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय वैद्य और चिकित्सा चिकित्सकों के बारे में डेटा बनाए रखना।

2.5. केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका

- ★ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करना।
- ★ जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और टिकाऊ उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विकास करना।
- ★ अति प्रयोग, दुरुपयोग या उपेक्षा से खतरे में जैव विविधता समृद्ध पर्यावासों के संरक्षण के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी करना।
- ★ प्रासंगिक क्षेत्रीय या क्रॉस-सेक्टरल योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और टिकाऊ उपयोग का एकीकरण। एनबीए द्वारा अनुशंसित जैविक विविधता से संबंधित स्थानीय लोगों के ज्ञान का सम्मान और संरक्षण करने का प्रयास करना।
- ★ पर्यावरण और जैव विविधता पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना और संरक्षण पर जीवित संशोधित जीवों के उपयोग रिहाई के जोखिम या प्रतिकूल प्रभाव को विनियमित, प्रबंधित या नियंत्रित करना, और जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के सतत उपयोग के बीच संबंध का अध्ययन करना।
- ★ केन्द्र सरकार एनबीए के परामर्श से,
 - अ. खतरे वाली प्रजातियों को सूचित कर सकता है और उनके संग्रह, पुनर्वास और संरक्षण को प्रतिबंधित या विनियमित कर सकता है।
 - आ. संस्थानों को जैविक संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भंडार के रूप में नामित कर सकती है।
 - इ. आमतौर पर वस्तुओं के रूप में कारोबार किए जाने वाले कुछ जैविक संसाधनों को छूट दे सकती है।
- ★ राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करती हैं और सभी विरासत स्थलों (केन्द्र सरकार के परामर्श से) के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बनाती हैं और प्रभावित लोगों को मुआवजाधुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू करती हैं।

अध्याय 3

प्राधिकरण की बैठकें

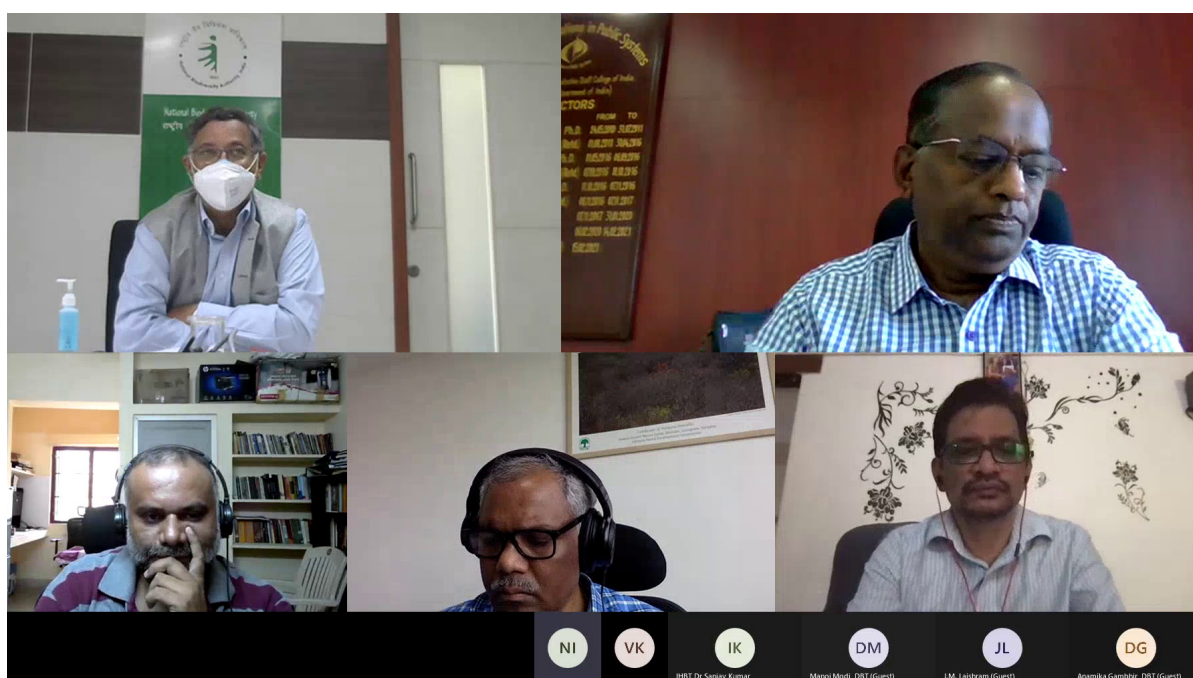
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने चार बार बैठक की और एनबीए सचिवालय को बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 12 और बीडी नियमों के नियम 10 के अनुसार सलाह दी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने एबीएस पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ एबीएस आवेदनों पर विचार किया और निर्णय दिया और एनबीए सचिवालय को सलाह दी। चर्चा की गई कार्यसूची और आयोजित बैठकों के परिणाम नीचे उल्लिखित हैं।

3.1. प्राधिकरण की 61 वीं बैठक

प्राधिकरण (शासी निकाय) की 61 वीं बैठक 30 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डॉ. वि.बि. माथुर की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, उन पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए, वे निम्नलिखित थे

- ★ एनबीए द्वारा स्वीकृत और निष्पादित आवेदनों को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि अब से केवल एनबीए द्वारा पूरी तरह से संसाधित आवेदनों को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदन के लिए अनुशंसित आवेदनों को अकेले प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- ★ प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एसबीबी संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता के विभिन्न घटकों के लिए निधियों का आबंटन दिया जाएगा।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के विशेष घटक के तहत एसबीबी को एनबीए द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की सराहना की और उन्हें नोट किया।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने एसबीबी और यूटीबीसी को एनबीए द्वारा जारी अनुदान की पुष्टि की।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने पृष्ठ 72 पर मामूली संशोधन के साथ वर्ष 2019–20 के लिए एनबीए की मसौदा वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम के तीसरे चक्र के शुभारंभ की सराहना की।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने फैसला किया कि इंटरन का वजीफा एचआरए सहित 22,500 रुपये प्रति माह होगा।
- ★ सदस्यों ने 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उत्सव के दौरान जूरी द्वारा पुरस्कार विजेताओं के चयन और भारत जैव विविधता पुरस्कार (आईबीए) 2022-23 के शुभारंभ को मंजूरी दी और पुरस्कारों को तर्कसंगत बनाने के लिए श्रेणी 1 के युक्तिकरण में बदलाव के अधीन जैविक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करने के लिए मंजूरी दी
- ★ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू एनबीए कर्मचारियों को 14% की दर से एनपीएस अंशदान की बहाली के प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा इस सलाह के साथ अनुमोदित किया गया था कि इसे आगे की कार्रवाई के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।
- ★ योग्यता बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बायोटेक्नोलॉजी) फॉर यंग प्रोफेशनल (साइंटिफिक) को बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर्स में बदला जा सकता है।
- ★ अथॉरिटी के सदस्यों ने आईटी कंसल्टेंट की योग्यता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स को भी जोड़ने का फैसला किया।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने आईबीए पुरस्कार विजेताओं और आईबीए जूरी विशेष उल्लेखों के नामों को मंजूरी दी।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने एनबीए द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड को जारी 11.25 करोड़ रुपये की धनराशि के उपयोग के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी।



3.2. प्राधिकरण की 62वीं बैठक

प्राधिकरण की 62वीं बैठक 21 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डॉ. वि.बि. माथुर की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में तीस्ता हॉल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, उन पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय निम्नलिखित लिये गये, वे निम्नलिखित थे:

- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने निर्णय लिया कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन 3702, 4675, 4281 (एबीएस पर 62 वें ईसी की कार्यवाही का एजेंडा नंबर 62.03, 62.05 और 62.07) पर सिफारिशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- ★ सदस्यों ने निर्णय लिया कि एबीएस का निर्धारण करते समय जैविक संसाधनों तक पहुंच और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझा करण विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों के अनुलग्नक I में उचित और समान लाभ साझाकरण विकल्पों में दिए गए प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है।
- ★ सदस्यों ने निर्णय लिया कि भविष्य के आवेदनों के लिए फॉर्म III(पेटेंट) आवेदनों के लिए एबीएस घटक की फिर से जांच की जा सकती है।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने शेष आवेदनों (28 आवेदनों) के लिए एबीएस पर ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
- ★ सदस्यों ने बीडी अधिनियम, नियमों और विनियमों में संशोधन पूरा होने के बाद पहुंच और लाभ साझेदारी विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया।
- ★ एनबीए स्पष्ट करेगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड धारा 3(2) इकाई है या इसे एबीएस पर ईसी के समक्ष रखकर धारा 7 इकाई है।
- ★ सदस्यों ने निर्णय लिया कि जैव विविधता विरासत स्थलों की स्थापना और इसकी प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिए संबंधित बीएमसी को 1,00,000 रुपये की सांकेतिक वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
- ★ सदस्यों ने यह भी निर्णय लिया कि वित्तीय आवश्यकता को स्थानीय निकाय (अनुदान सहायता) के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकता है।
- ★ सदस्यों ने एनआईसी को 16,94,157 रुपये (लागू कर सहित) की दर से एएमसी को मंजूरी दी।
- ★ एनबीए एनआईसी के साथ समन्वय करेगा और अगली प्राधिकरण बैठक में एबीएस ई-फाइलिंग – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर एक डेमो आयोजित करेगा।
- ★ एनबीए डीएसआई पर एक समर्पित सत्र आयोजित कर सकता है जिसमें डीएसआई पर ईसी के अध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है और डीएसआई पर भारत के देश की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है।



- ★ सदस्यों ने निर्णय लिया कि डब्ल्यूजी एबीएस का निर्धारण करने के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझेदारी विनियम, 2014 पर दिशानिर्देशों के उचित और समान लाभ साझा करण विकल्पों के अनुलग्नक I के आधार पर तंत्र भी विकसित कर सकता है।
- ★ प्राधिकरण के सदस्यों ने पंजीकरण और योजना के विकास को जारी रखने के लिए इस लोगो को मंजूरी दे दी।

3.3. प्राधिकरण की 63वीं बैठक

प्राधिकरण की 63वीं बैठक 29 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. वि. बि. माथुर की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में इंडस हॉल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, उन पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए, वे निम्नलिखित थे:

- ★ प्राधिकरण ने एबीएस पर 64 वें ईसी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
- ★ प्राधिकरण ने वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान तक पहुंचने से पहले संस्थाओं द्वारा अग्रिम भुगतान की जाने वाली लाभ साझाकरण राशि की फिर से जांच करने के लिए उप-समिति के गठन को मंजूरी दे दी।
- ★ प्राधिकरण ने खातों के साथ वर्ष 2020-21 के लिए एनबीए की मसौदा वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।
- ★ सदस्यों ने निर्णय लिया कि सीएसआईआर-टीकेडीएल के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते में प्राप्ति मील का पत्थर साबित होनी चाहिए और इसे सावधानी के साथ और समझौते की कानूनी जांच के बाद निष्पादित किया जा सकता है।
- ★ सदस्यों ने निर्णय लिया कि ई-पीबीआर की तैयारी और इसके महत्व को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।



- ✱ सदस्यों ने निर्णय लिया कि कक्षा 9 वीं से 12 वीं कक्षा के लिए भारतीय समृद्ध जैव विविधता पर कुछ अध्याय तैयार किए जा सकते हैं।
- ✱ सदस्यों ने सिफारिश की कि प्राधिकरण और विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को बैठक भत्तों मानदेय का भुगतान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विचारार्थ भेजा जाएगा।

3.4. प्राधिकरण की 64वीं बैठक

प्राधिकरण की 64वीं बैठक 10 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. वि.बि. माथुर की अध्यक्षता में एनबीए, चेन्नई में श्वाइब्रिड मोडर्न में आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, उन पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए, वे निम्नलिखित थे:

- ✱ जिन अनुप्रयोगों में भारत के बाहर के जैविक संसाधन हैं या जहां उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, उन पर एबीएस पर ईसी द्वारा पुनर्विचार और समीक्षा की जा सकती है।
- ✱ ईसी द्वारा एबीएस पर अचलेंद्र रेड्डी द्वारा वर्णित आवेदनों की समीक्षा की जाएगी।
- ✱ एनबीए नए सदस्यों की सूची को उनकी डोमेन विशेषज्ञता के साथ प्राधिकरण के समक्ष तब रखेगा, जब भी इसका पुनर्गठन किया जाएगा।
- ✱ अग्रिम भुगतान करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए उपसमिति की सिफारिशों को न्यायालय द्वारा निर्णय लेने तक स्थगित रखा जाएगा। अनुसंधान के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
- ✱ एनबीए आणविक जीवविज्ञानियों सहित विभिन्न डोमेन विशेषज्ञों पर अपने सुझावों के लिए प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एबीएस सदस्यों पर ईसी की संरचना साझा कर सकता है, जिन्हें 31 मार्च, 2022 के बाद एबीएस पर ईसी के पुनर्गठन के दौरान शामिल किया जा सकता है।



- ★ सदस्यों ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के बाद संशोधित एनबीए चिकित्सा उपस्थिति विनियमों दिशा-निर्देशों को मंजूरी देने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया।
- ★ जब तक प्रस्तावित योजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक मौजूदा विनियमों का अनुसरण इस संशोधन के साथ किया जाएगा कि 1 अप्रैल 2022 से चिकित्सा दावों (01-04-2022 को या उसके बाद लिया गया उपचार) को सीजीएचएस अनुमोदित दरों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। तदनुसार बाह्य रोगी दावों की प्रतिपूर्ति के लिए लगाए गए एक महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा मौजूदा विनियमों से हटा दी जाएगी, क्योंकि यह सीएस (एमए) नियमों सीजीएचएस योजना में निर्धारित नहीं किया गया था।
- ★ परियोजना प्रस्ताव को संशोधित किया जा सकता है और एपीएसबीबी एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसमें विशिष्ट भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के साथ गतिविधियों के विवरण और इन गतिविधियों के अपेक्षित परिणामों और इन गतिविधियों की लेखा परीक्षा कैसे की जाएगी, यह रेखांकित किया जायेगा। इसमें लाल सैंडर्स पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के विपरीत रेड-सैंडर्स क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में इन निधियों का उपयोग करने का औचित्य भी शामिल होना चाहिए और जैविक संसाधनों के संरक्षण में एबीएस क्षमता की भी पहचान करनी चाहिए।
- ★ लाल सैंडर्स प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का पता लगाने के लिए मध्य-पाठ्यक्रम के दौरान और परियोजना के अंत में प्रदर्शन लेखा परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
- ★ लाल चंदन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय को आईडब्ल्यूएसटी या अन्य संस्थानों द्वारा लाल चंदन से हस्तशिल्प बनाने और आत्मनिर्भर भारत में मदद करने और प्रजातियों में मूल्य जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

अध्याय 4

जैविक संसाधनों तक पहुंच और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण को विनियमित करने के लिए गतिविधियाँ

4.1. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) पर विशेषज्ञ समिति (ईसी)

जैविक संसाधनों औरध्या अनुसंधान, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग के लिए संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन, जैविक संसाधनों पर अनुसंधान या जानकारी के आधार पर आविष्कार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और एनबीए द्वारा प्राप्त तीसरे पक्ष को पहुंच वाले जैविक संसाधनों के हस्तांतरण का मूल्यांकन इस विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है जो तब प्राधिकरण के विचार उपयुक्त सिफारिशें करता है ।

वर्ष के दौरान, समिति ने चार बार बैठक की अर्थात् 11.08.2021 को 62 वीं बैठक, 25.08.2021 को 63 वीं बैठक, 26.10.2021 को 64 वीं बैठक और 24.01.2022 को 65 वीं बैठक और पहुंच और लाभ साझा करने पर लगभग 108 आवेदनों का मूल्यांकन किया और प्राधिकरण को सिफारिशें प्रदान कीं। इसके अलावा 21 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 62 वीं बैठक में प्राधिकरण द्वारा निर्देशित धारा 3(2) संस्थाओं द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के लिए अग्रिम भुगतान दिशानिर्देश की फिर से जांच करने जैसे जेनेरिक मुद्दे पर ईसी ने इन्पुट प्रदान किये।



4.1.1. अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव-उपयोग के लिए अग्रिम भुगतान के लिए दिशानिर्देशों की फिर से जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति:

62वें प्राधिकरण में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, ईसी के सदस्यों ने सिफारिश की कि श्री एम. केएस सुगरा, आईएफएस और डॉ एस एलुमलाई, डॉ वीजी मालती, डॉ एम संजप्पा और डॉ डी नरसिम्हन का गठन अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए अग्रिम भुगतान के दिशानिर्देशों की फिर से जांच करने और एनबीए द्वारा अनुमोदन के समय पेटेंट आवेदनों के लिए लाभ साझा करने की लेवी की जांच करने के लिए किया गया था। एबीएस पर 65 वें ईसी में उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया था, जहां समिति ने राय दी थी कि उप-समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधित दिशानिर्देश पर वर्तमान परिदृश्य में विचार किया जा सकता है और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित



होने के बाद दरों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

4.2. अनुपालन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) उत्पन्न करना

आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के तहत, पार्टियों को साक्ष्य के रूप में पहुंच के समय परमिट या इसके समकक्ष जारी करना आवश्यक है कि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पूर्व सूचित सहमति पर आधारित थी और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई थीं। चूंकि भारत

नागोया प्रोटोकॉल का एक पक्ष है, इसलिए एनबीए ने अब तक एबीएस सीएच प्लेटफॉर्म में दिए गए 2756 अनुमोदनों का विवरण अपलोड किया है, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) उत्पन्न करता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 2756 में से 1160 आईआरसीसी सृजित किए गए हैं।

4.3. पत्रिका में प्रकाशन के लिए उपन्यास प्रजातियों के दावे के लिए अन्य देश के भंडार में सूक्ष्मजीवों का निक्षेपण:

प्राधिकरण ने मार्च 2016 में कार्यसूची मद 37.14.02 के तहत आयोजित अपनी 37वीं बैठक में निर्णय लिया कि भारतीय शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों को पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए नवीन प्रजातियों के दावे के लिए अन्य देश के भंडार में सूक्ष्मजीवों के जमाव के लिए निर्धारित प्रारूप अर्थात् फॉर्म-सी में एनबीए को पूर्व सूचना प्रदान करनी चाहिए। तथापि, यदि कोई गैर-भारतीय व्यक्ति/संस्था विदेशी भंडार से जमा भारतीय जैविक संसाधन तक पहुंचने का इरादा रखती है, तो उसे बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार एनबीए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। एनबीए को मार्च 2016 से अब तक ऐसी 281 सूचनाएं मिली हैं और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद एनबीए की वेबसाइट पर इसका विवरण अपडेट किया गया है।





अध्याय 5

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 6 में उल्लिखित गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदान किया गया अनुमोदन

5.1. अनुमोदन विवरण

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा है। तदनुसार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को जैविक संसाधनों और या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित के अनुसंधान हेतु अनिवार्य किया गया है जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग्य वाणिज्यिक उपयोग्य आईपी अधिकार प्राप्त करना अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों और ६ या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण। आवेदक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में और जैव विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 की धारा 14, 17 और 18 में उल्लिखित किया गया है।

2. बीडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम में परिकल्पित कुछ गतिविधियों को करने के लिए भारतीय और गैर-भारतीय दोनों व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान तक पहुंचने के लिए, एनबीए का पूर्व अनुमोदन एक पूर्व-आवश्यकता है। उन्हें एनबीए को प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्दिष्ट चार विभिन्न फॉर्म में आवेदन करने की आवश्यकता है और अनुमोदन के अनुसार निर्धारित समय सीमाएं हैं। उल्लेखनीय है कि बीडी अधिनियम जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य करता है जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना है।

तालिका 2: एबीएस अनुप्रयोगों की श्रेणी

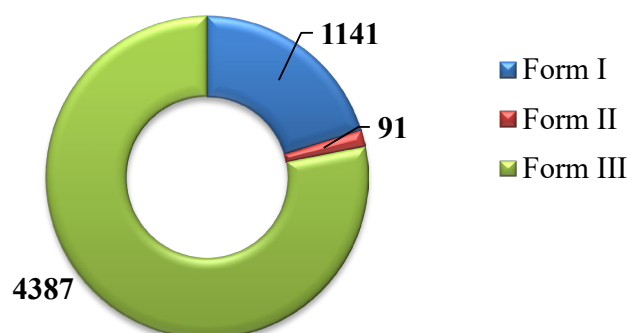
बीडी अधिनियम, प्रपत्र 2002 की संख्या धाराएं	आवेदन का उद्देश्य	किसके द्वारा
धारा 3	I अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग के लिए जैविक संसाधनों और ध्वजा संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच	शेयर पूंजी या प्रबंधन में गैर-भारतीय भागीदारी वाली गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई
धारा 4	II अनुसंधान के परिणामों का स्थानांतरण	शेयर पूंजी में गैर-भारतीय भागीदारी वाले किसी भी गैर-भारतीय, एनआरआई, विदेशी इकाई या भारतीय इकाई के लिए कोई भी भारतीय-गैर-भारतीय या संस्था
धारा 6	III बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगना	कोई भी भारतीय-गैर-भारतीय या संस्था

अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए को फॉर्म I, II और III (चित्र 1ए) के तहत विभिन्न हितधारकों से 5619 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, इसे 842 आवेदन (चित्र 1 बी) प्राप्त हुए, जो सभी मामलों में पूर्ण थे और इसलिए प्रसंस्करण के लिए लिये गए थे। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण तालिका 3 में दिखाए गए हैं।

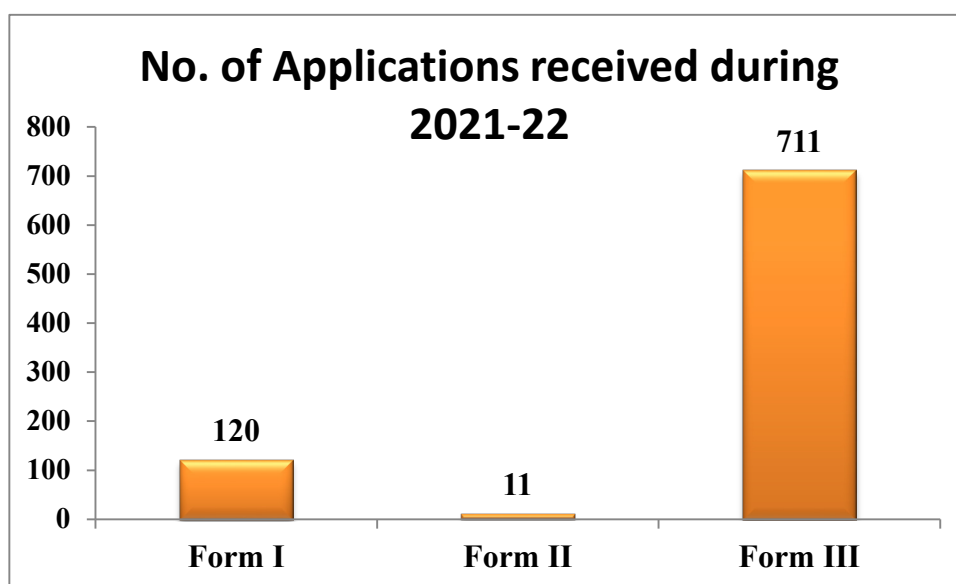
5.2. एबीएस आवेदनों की ई-फाइलिंग

एनबीए के पास जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक समर्पित

No. of Applications received since inception



चित्र 1ए: एनबीए की स्थापना से विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदनों की प्राप्ति



चित्र 1बी: 2021-22 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति

ऑनलाइन पोर्टल एबीएस ई-फाइलिंग सिस्टम (<http://absefiling-nic-in>) है। पोर्टल आवेदन के लिए शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रदान करता है। एक बार पोर्टल पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, इससे आवेदन जमा करने में आसानी होगी और एनबीए द्वारा अनुमोदन देने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 31.03.2022 तक, एनबीए को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों से 842 आवेदन प्राप्त हुए हैं (तालिका 3)

तालिका 3: एबीएस अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के चरण

विवरण	प्रपत्र I	प्रपत्र II	प्रपत्र III	कुल
प्राप्त	120	11	711	842
निष्पादित	102	7	618	727
प्रक्रियाधीन	8	.	47	55
उल्लंघन	.	.	.	.
बन्द / प्रत्याहरण	10	4	46	60
हस्ताक्षरित / अनुमोदिद अनुबंध	52	2	405	459
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर प्रगति				
निष्पादित (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	744	37	2989	3772
हस्ताक्षरित अनुबंध(पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	460	32	2453	2945
बन्द प्रत्याहरित (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	262	42	653	957
निरस्त	9	.	14	23

5.3. लाभ दावेदारों को लाभ साझा करने की राशि की प्राप्ति और वितरण

एनबीए को अब तक फॉर्म 1 के तहत लाभ साझाकरण (बीएस) घटक के रूप में लगभग 148.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 40.88 करोड़ रुपये वर्ष 2021–2022 के दौरान प्राप्त हुए हैं। एनबीए को बीएस घटक के रूप में फॉर्म 3 के तहत अब तक लगभग 2,67,722 रुपये की राशि भी प्राप्त हुई है।

लाल चंदन की लकड़ी तक पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से, एनबीए ने कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से कर्नाटक वन विभाग को 50.21 लाख रुपये की राशि वितरित की है और भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को 33.10 लाख रुपये की लाल चंदन अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन किया है। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान प्राधिकरण के अनुमोदन से लाल चंदन पर चुनाव आयोग की सिफारिश के अनुसार हितधारकों से संबंधित है।

लाल चंदन के अलावा अन्य जैविक संसाधनों की पहुंच पर प्राप्त बीएस राशि में से, एनबीए ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर बीएमसी संस्थान समुदायों जैसे संबंधित लाभ दावेदारों को लाभ साझा करने का वितरण किया है, जहां से जैविक संसाधन एकत्र किए जाने हैं जो आवेदन में प्रदान किए गए हैं। रिपोर्टिंग के दौरान एनबीए ने 17 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 1 केंद्रीय जैव विविधता परिषदों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूटीबीसी चंडीगढ़) को जैविक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संबंधित लाभ दावेदारों को वितरित करने के लिए 1,01,30,653 रुपये जारी किए।



अध्याय 6

आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किए गए उपाय

6.1. शुरू किए गए उपाय

जैविक आनुवंशिक संसाधन और उनके संबद्ध ज्ञान जैव-परीक्षण के लिए बुनियादी घटकों का गठन करते हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में से एक हैं। यह मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण में योगदान देता है जो बदले में भारी आर्थिक क्षमता रखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का उपयोग इस मूल्यवान जानकारी पर एकाधिकार अधिकार बनाने और इस तरह व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी उपकरण के रूप में किया जाता है। लेकिन पेटेंट के अनुदान के माध्यम से निजी संपत्ति के अधिकारों का निर्माण भविष्य के अनुसंधान के लिए बाधा पैदा कर सकता है। यद्यपि ऐसे अनन्य अधिकारों के धारकों को काफी लाभ हैं, फिर भी इसे जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान के वास्तविक संरक्षकों और धारकों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं के बीच आईपीआर के माध्यम से ऐसे अनुसंधान और बाद में जैविक संसाधनों के व्यावसायीकरण से उत्पन्न लाभों को समान रूप से साझा करना है। यह पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) के माध्यम से पहुंच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जनादेश का निर्माण करके और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (मैट) के आधार पर लाभ साझा करके इन हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत ने सीबीडी के तीन उद्देश्यों अर्थात् जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण को लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया। जैव विविधता अधिनियम की धारा 6, भारत से होने वाले या प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर आविष्कार के लिए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का आदेश देती है। इस तरह की मंजूरी चाहने वाला कोई भी व्यक्ति फॉर्म प् में एनबीए में आवेदन करेगा।

29 अक्टूबर, 2010 को अंगीकृत नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य सीबीडी के तीसरे उद्देश्य — आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा — को सुदृढ़ बनाना है। इस संबंध में, नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 और 16 में कहा गया है कि प्रत्येक पार्टी यह प्रदान करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगी कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर उपयोग किए जाने वाले आनुवंशिक संसाधनों और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को पूर्व सूचित सहमति के अनुसार एक्सेस किया गया है और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई हैं, जैसा कि घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण कानून या अन्य पार्टी

की नियामक आवश्यकताओं द्वारा आवश्यक है। इसके अलावा, पार्टियां गैर-अनुपालन की स्थितियों को संबोधित करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक उपाय करेंगी और जहां तक संभव हो और यथाउपयुक्त, घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकता के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करेंगी।

पेटेंट आवेदनों की प्रभावी निगरानी के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और भारतीय पेटेंट कार्यालय पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैव विविधता (बीडी) अधिनियम, 2002 की धारा 6 के लिए आवश्यक है कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर आविष्कार के लिए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने वाला कोई भी व्यक्ति एनबीए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा, जबकि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 10(4)(ii) (डी) के लिए आवेदक को आविष्कार में उपयोग किए जाने वाले जैविक संसाधनों के स्रोत और उत्पत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 6 की भावना को दिनांक 25 मार्च, 2013 के शपथ के लिए जैव प्रौद्योगिकी आवेदनों की जांच के लिए दिशा-निर्देश और पेटेंट महानियंत्रक कार्यालय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को जारी पारंपरिक ज्ञान और जैविक सामग्री से संबंधित पेटेंट आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया है। सीजीपीडीटीएम द्वारा जारी इन दोनों दिशा-निर्देशों और 2012 के परिपत्र संख्या 1 के लिए यह अपेक्षित है कि भारत से प्राप्त जैविक सामग्री पर आधारित आविष्कारों के लिए पेटेंट तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा एनबीए अनुमोदन की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसके अलावा इस आवश्यकता को पेटेंट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म में एक घोषणा के रूप में भी शामिल किया गया है। ये सभी उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों के आधार पर आविष्कारों के लिए पेटेंट प्राप्त किए बिना प्रदान नहीं किया जाएगा



अध्याय 7

गैर वाणिज्यिक अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों की पहुंच के लिए प्राधिकरण द्वारा दिया गया अनुमोदन

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच से संबंधित गतिविधियों जैसे जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग्य वाणिज्यिक उपयोग्य आईपी अधिकार प्राप्त करना अनुसंधान के परिणामों का हस्तांतरण और एक्सेस किए गए जैविक संसाधनों और ६ या संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। आवेदक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को अधिनियम 14, 17 18, 19 और जैविक विविधता नियम 2004 और एबीएस विनियम 2014 की धारा 20 में उल्लिखित किया गया है।

तालिका 4: एबीएस अनुप्रयोगों की श्रेणी

धारा	फार्म	वर्ग
बीडी अधिनियम 2002 की धारा 20	फार्म IV	एक्सेस किये गये जैविक संसाधनों और/या संबंधित ज्ञान का तृतीय पार्टी स्थानांतरण
एबीएस विनियम 2014 की धारा 13	फार्म बी	जैविक संसाधनों का उपयोग करके भारतीय शोधकर्ताओं/सरकारी संस्थानों द्वारा भारत के बाहर आपातकालीन उद्देश्य के लिये गैर वाणिज्यिक अनुसंधान या अनुसंधान का संचालन करना

स्थापना के बाद से, एनबीए को विभिन्न हितधारकों से फॉर्म IV (97) और फॉर्म बी (216) के 313 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों के प्रसंस्करण के चरण तालिका-5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-5: 2021-22 में फ़र्म व और फ़र्म बी के एबीएस आवेदनों की प्रोसेसिंग के चरण

विवरण	फार्म IV	फार्म बी	कुल
प्राप्त	1	29	30
निष्पादित	.	21	21
प्रक्रियाधीन	.	.	.
उल्लंघन	.	.	.
बन्द प्रत्याहरण	1	8	9
हस्ताक्षरित अनुमोदित अनुबंध	.	21	21
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर प्रगति			
निष्पादित (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	43	133	176
हस्ताक्षरित अनुबंध(पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	34	133	167
बन्द प्रत्याहरित (पिछले वर्षों में प्राप्त आवेदन)	47	54	101
निरस्त	.	.	.



अध्याय 8

बौद्धिक संपदा अधिकार और जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जन भागीदारी से संबंधित जागरूकता

8.1. विभिन्न हितधारकों के साथ उच्च अधिकारियों की बातचीत

एनबीए, चेन्नई में 29.10.2021 को एनबीए के अध्यक्ष डॉ. वि.बि.माथुर की अध्यक्षता में हिंदी राजभाषा समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

एनबीए के सचिव श्री जे. जस्टिन मोहन, आईएफएस ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्य वन अधिकारियों और रेंज अधिकारियों के एक समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27.10.2021 को "जैव विविधता अधिनियम, 2002" सत्र में व्याख्यान दिया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून को पेशेवर वनकर्मियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने और उन्हें स्थायी आधार पर देश के वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन के लिए क्षमता विकसित करने में मदद करने का अधिदेश दिया गया है। एनबीए ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत जैव विविधता संरक्षण और इसके शासन पर आईएफएस परिवीक्षाधीनों और सेवारत आईएफएस अधिकारियों दोनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईजीएनएफए के साथ हाथ मिलाया है। तदनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 जुलाई से 15 जुलाई, 2021 के बीच चार दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया था।

एनबीए ने 05.07.2021 को एनआईसी ग्राम मंचित्र पोर्टल के साथ बीएमसी और पीबीआर पर एनबीए के इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड के एकीकरण पर एक मंथन सत्र का आयोजन किया। एमओआईएफसीसी, पंचायती मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली, चेन्नई और केरल के एनआईसी कर्मचारी तथा राज्यों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव भी भाग लिये।

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य: माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 16 दिसंबर, 2021 को जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के समक्ष पेश किया गया था। विधेयक में आगे जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर संयुक्त समिति (बीडीए पर जेसी), को संदर्भित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य डॉ. संजय जायसवाल कर रहे हैं। एनबीए और अन्य मंत्रालयों को 28 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों, एनबीए के अध्यक्ष और एनबीए के सचिव ने 28.01.2022 को नई दिल्ली में आयोजित बीडीए पर जेसी की तीसरी बैठक में भी भाग लिया था और जेसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का लिखित उत्तर

प्रस्तुत किया था। इसके बाद, बीडीए पर जेसी की चौथी बैठक 08.02.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें आठ राज्य जैव विविधता बोर्डों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनकी लिखित टिप्पणियों को समेकित किया गया और एमओईएफसीसी को अग्रेषित किया गया।

राज्य सभा पटल पर रखे गये कागजात पर एआरए को प्रस्तुत करने के संबंध में 5 से 9 जनवरी, 2022 तक रागोवा, चेन्नई, बेंगलूर में समिति का अध्ययन दौरा: समिति ने वार्षिक रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखा को राज्य सभा पटल पर रखने के संबंध में 5 से 9 जनवरी, 2022 तक गोवा, चेन्नई, बेंगलूर का दौरा किया। एनबीए के अध्यक्ष और सचिव ने 07.01.2022 को आयोजित समिति की बैठक में भाग लिया, जिसमें अध्यक्ष, एनबीए ने एनबीए के कार्यों, जनादेश के बारे में एक प्रस्तुति दी और अब तक की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी।

8.2. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी)-2021 का आयोजन:

आईडीबी का आयोजन सतत विकास की दिशा में इसके योगदान पर प्रकाश डालते हुए जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। हर साल, यह दिन सरकारों, संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पूरे भारत में 22 मई को मनाया जाता है। एनबीए, राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का आयोजन करके "हम समाधान का हिस्सा हैं" विषय पर आईडीबी का उत्सव मनाया।

राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा एनबीए के समन्वय में वर्चुअल मोड में किया गया था। आईडीबी 2021 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्घाटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। श्री बाबुल सुप्रियो, राज्य मंत्री-ईएफसीसी और यूएनडीपी भारत की रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने विशेष संबोधन दिया।

यूएनडीपी भारत की रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने अपने उद्घाटन भाषण में जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि कोविड-19 ने हमें लोगों और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंधों की याद दिला दी है।

कार्यक्रम के दौरान, एनबीए और जीआईजेड ने संयुक्त रूप से 17 भारतीय भाषाओं में "जैव विविधता अधिनियम, 2002 पर सिम्ली एक्स्प्लेंड सीरीज" नामक सजीव फिल्मों की शुरुवात की। देश में बीएमसी के प्रशिक्षण के लिए एनबीए-एमओईएफसीसी-जीआईजेड द्वारा ज्ञान उत्पादों का एक सेट भी लॉन्च किया गया था। इस आयोजन में शोधकर्ताओं के लिए एबीएस पर नैतिक आचार संहिता पर एनबीए-एमओईएफसीसी-यूएनडीपी ज्ञान उत्पादों, भारत में एबीएस पर एक पुस्तिका और जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एबीएस के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों के लिए निगरानी दिशानिर्देशों का शुभारंभ भी किया गया।

एनबीए के पोर्टल पर पोस्टर और दिशानिर्देश जारी करके इस अवसर पर एनबीए द्वारा जैव विविधता संरक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम के तीसरे चक्र और भारत जैव विविधता पुरस्कारों के छठे चक्र के आह्वान की भी घोषणा की गई। भारत से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए यूएनडीपी और एमओईएफसीसी द्वारा अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (ओईसीएम) पर नई पहल के लिए एक रिपोर्टिंग पोर्टल आधिकारिक तौर पर खोला गया था। भारत जैव विविधता पुरस्कारों के 5 वें चक्र के विजेताओं की घोषणा उन सभी श्रेणियों में की गई थी जो तालिका 6 में दी गई हैं।

तालिका 6: भारतीय जैव विविधता पुरस्कार २०२१ विजेताओं की सूची

भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 विजेताओं की सूची			
	श्रेणी	उप श्रेणी	विजेताओं के नाम
1	वन्य प्रजातियों का संरक्षण		चोंगंगा फाउंडेशन, वांगू, मणिपुर
			श्री शिव कुमार लाहौल्लिस्पति, हिमाचल प्रदेश
2	पालतू प्रजातियों का संरक्षण	व्यक्तिगत	श्री एन.एम. शाजी, वायनाड, केरल
		संस्थान	अम्राबाद पोडा लक्ष्मी गौ संगम, तेलंगाना
3	जैविक संसाधनों का सतत उपयोग	व्यक्तिगत	एस. सतीश वन रेंज अधिकारी, रामनथपुरम, तमिलनाडु
		संस्थान	खोनोमा प्रकृति संरक्षण और ट्रागोपन सैंचुरी ट्रस्ट, नागालैंड
			कृषि एवं प्रतिष्ठित विकास संस्थान(क्रापाविस) राजस्थान
4	एबीएस के प्रतिकृति तंत्र		वाल्गारो बायोसाइंसेस लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना
			दिवंचिन ग्राम बारी बीएमसी, खोवै, त्रिपुरा
5	सर्वोत्तम बीएमसी		शेरगांव बीएमसी, अरुणाचल प्रदेश

एनबीए ने पूर्वोत्तर भारत के कानून के छात्रों के लिए एक लघु पेपर लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की है। इस वर्ष की प्रतियोगिता के विजेताओं में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड ज्यूडिशियल एकेडमी, असम की तेजस्विनी मिश्रा (प्रथम) और अनन्या गोगोई (द्वितीय) तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम के पीजी विधि विभाग की तित्तिख्या बरकताकी (तृतीय) शामिल हैं।



अध्याय 9

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, 38, 40 और 64 के तहत जारी विनियम

9.1. जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा (बीएचएस)

रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल में एक जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) अधिसूचित किया गया है जो तालिका 7 में दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य ने 2020 में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अपनी चौथी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, जिसे 2021-22 की अवधि के दौरान उपलब्ध कराया गया था।

तालिका 7: इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की सूची

क्रमांक	राज्य	बीएचएस का नाम	भौगोलिक स्थान	अधिसूचना संख्या
	पश्चिम बंगाल	बानेश्वर शिबा दिघी	26.3985°N & 89.497699°E	No. 880-EN/T-II-7/2003-ii dtd.14.08.2020

9.2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार को उन पौधों और पशुओं की प्रजातियों को खतरे वाली प्रजातियों के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना रखते हैं ताकि किसी भी प्रयोजन के लिए उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित किया जा सके और उन प्रजातियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। अब तक 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामत असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दीव और बांध द्वीपों ने बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत कुल 159 पौधों और 175 पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध करते हुए संकटग्रस्त प्रजातियों को अधिसूचित किया है।

ये सूचनाएं <http://nbaindia-org/content/18/21/1/notifications-html> पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं (पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो राज्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं)।

9.3 जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 40 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से जैविक संसाधनों सहित किसी भी मद को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के लिए (आधिकारिक राजपत्र में) अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है, जैसा कि सामान्यतः वस्तुओं (एनटीएसी) के रूप में कारोबार किया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब तक 7 अप्रैल, 2016 (385 प्रजातियां) के एसओ 1352 (ई) और 7 नवंबर, 2017 (36 प्रजातियों) के एसओ 3533 (ई) के तहत धारा 40 के तहत दो राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं, इस प्रकार कुल 421 पौधों की प्रजातियों जैविक संसाधनों को एनटीएसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस प्रकार उन्हें बीडी अधिनियम के एबीएस प्रावधानों से छूट दी गई है।

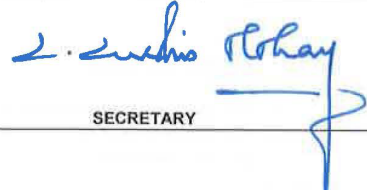
ये अधिसूचनाएं <http://nbaindia-org/content/18/21/1/notifications-html> पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं (बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार की जाने वाली वस्तुओं के रूप में अधिसूचित जैविक संसाधन)।



अध्याय 10

Finance and Accounts

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY TARAMANI, CHENNAI -600113					
<u>Receipts and Payments Account for the year ended 31st March, 2022</u>					
	Current Year: 2021-22	Previous Year: 2020-21		Current Year: 2021-22	Previous Year: 2020-21
(Amount in Rs)					
I. Opening Balances:			I. Expenditures:		
A) NBA Account			a) Establishment Expenses		
a) Cash in hand	40,000	50,000	i) previous year O/s Rs.2063587	2,52,39,082	3,28,91,034
b) Stamp	707	764	ii) Current Year Exps Rs.23175495		
c) Bank Balances:-			b) Administrative Expenses		
NBA General A/c	1,75,14,783	2,76,01,084			
NBA Salary A/c	48,57,891				
NBA SC SP A/c	29,323				
NBA SC STP A/c	17,426				
NBA Capital A/c	-				
B) NBF Account					
a) Bank Balances(SB A/c & Current A/c)	75,41,72,943	90,90,64,707	General Exps		
b) Fixed Deposit A/c	3,34,79,408	22,76,08,021	i) previous year O/s Rs.2044072	6,31,10,290	3,71,51,385
c) NBA Fund Admin A/c	96,282		ii) Current Year Exps Rs.61066218		
D) Projects			Consumption of Stamps		2,575
i) NBA Asean Project A/c	40,566	1,14,15,977	Consumed out of Opening		57
ii) GEF Bank A/c	90,21,973	87,80,715	iii) Stamp Purchased	5,980	
			iv) Funding for awareness programs	6,65,788	10,80,887
			v) E- Office Development	2,764	2,41,898
			vi) Liaison office hyderabad Exps		10,000
			c) Advance to Building		1,00,00,000
			d) Fixed Assets	23,505	18,77,100
			e) NBA Capital A/c	32,050	
II. Grants-			f) SBB's		
a) Grant Received from (MoEF & CC)	15,51,99,738	10,80,00,000	i) Strengthening of SBBs.	3,79,99,103	1,37,13,998
			ii) Constitution of BMCs. &	2,00,00,000	85,81,000
			iii) Special Compound for SC-SP	3,00,000	65,00,000
			iv) Special Compound for TSP		64,95,000
III. Income on- Investments from			II) Refund of interest earned on GIA to Govt.	74,80,309	29,73,184
a) Earmarked /			III. Other Payments		
Endowment Funds			a) Miscellaneous Expenditure/ Bank Charges on NBF A/c		
			Deposits/E.M.D.repaid	19,750	1,15,000
			Expenditure incurred from App.fees	67,182	
			GEF NIC payable - Fixed Deposit	69,38,957	
			Income Tax Refund - transferred to Fund A/c	15,21,492	
IV. Interest received			IV. Project A/c		
A) NBA A/c	14,23,973	74,80,309	i) NBA Asean Project A/c	1	1,16,24,733
1) Authority General A/c Rs.1007933					
2) Authority Salary A/c Rs.98522					
3) Authority SC- SP A/c Rs.9780					
4) Authority STP A/c Rs.1160					
5) Capital A/c Rs.306578					
a) Interest on Advances	276		V) NBA Fund Admin		
B) Interest/ Unspend refunded by SBB's & Non SBBs			a) Benefit Sharing the Payment to Stakeholders under Red Sanders	83,31,914	43,98,55,316
Rs. 1986564+805310	27,91,874		b) NBA Fund Admin		1,70,00,000
C) NBA Fund A/c			c) Benefit Sharing the Payment to Stakeholders under Other then Red Sanders(ABS)	1,01,30,654	6,40,41,348
i) Fund A/c Savings bank Interest Rs.117349	1,17,349	3,23,865			
ii) NBA Sweep A/c interest Rs.24628609	2,46,28,609	4,94,00,701			
iii) Fixed Deposit A/c Interest received/Reinvested- (Fund)	17,40,382	1,58,55,613			

Receipts	Current Year: 2021-22	Previous Year: 2020-21	Payments	Current Year: 2021-22	Previous Year: 2020-21
D) Fixed deposit during the year- GEF (NIC payable)	69,38,957		d)Unclassified now classified	2,07,14,322	47,196
E) Fixed deposit Interest during the year- GEF(NIC payable)	2,36,700				
V. Income to NBF A/c			e) Bank Charges	1,732	3,655
a) Application fee	16,46,616	11,91,534			
b) ABS Upfront payment	30,70,40,955	7,51,35,044			
c) Benefit Sharing (Red Sanders)	10,18,42,642	89,63,433			
d) unclassified receipts	4,34,767	2,10,56,946			
e) Refund from IT Dept (Received from NBA authority A/c)	15,21,492	2			
VI. Other Income					
A) Refund of Expenditure					
B) Sale of Assets	14,001				
C) RTI filing fee	20	200			
VII. Income NBF Admin A/c			VI. Expenditure NBF Admin A/c		1,69,16,151
NBA Fund Admin		1,70,00,000			
Interest on NBA Fund Admin A/c	4,186	12,433			
VIII. Other Receipts:					
Earnest Money / Security Deposit / Ret.Money recd from Contractors	38,000	40,000			
Application fee for Interns recruitment	1,30,661	2,05,287			
Income Tax refund		5,29,890			
GEF_A/c Interest Rs.		1,85,714			
Unspent amount from SC SP A/c	3,37,500				
Unencashed Receipts 2021-22	2,07,305				
Unencashed cheque Capital A/c	1,00,00,000				
IX _ Project Account					
GEF.Project A/c-Interest	2,46,071	2,49,322			
NBA Asean Project A/c-Interest	1,227	2,41,258			
Performance Guarantee					
			VII. Closing - Balances		
			a) Cash in hand	40,000	40,000
			b) Stamps in Hand	1,868	707
			c) <u>Bank Balances (FUND)</u>		
			1) NBA Fund A/c (Savings)	1,18,53,61,540	75,41,72,943
			2) In Fixed Deposit (Fund) A/c	20,85,000	3,34,79,408
			d) NBA A/c		
			1) NBA General A/c	1,19,74,634	1,75,14,783
			2) NBA Salary A/c	48,43,917	48,57,891
			3) NBA SC SP A/c	57,280	29,323
			4) NBA SC ST A/c	6,160	17,426
			5) NBA Capital A/c	1,22,74,528	-
			6) Admin Fund A/c	1,00,468	96,282
			7) GEF Cash & Bank A/c	92,68,044	90,21,973
			8) Asean Project A/c	41,793	40,566
			9) Fixed Deposit (GEF)	71,75,657	-
Total	1,43,58,15,764	1,49,03,92,818	Total	1,43,58,15,764	1,49,03,92,818
 ACCOUNTS OFFICER  SECRETARY  CHAIRMAN					

**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113**

Income and Expenditure for the year ended 31st.March,2022

INCOME	Sch. No.	Current Year: 2021-22	Previous Year: 2020-21
Income from Sales / Services	12		
Grants/ Subsidies:			
Grants received as per (Sch.No 13)	13	17,19,79,003	12,07,93,872
un utilized Grants for 2021-22(Sch.No 13)			
Total (Sch.No.13)			
Less: Capitalization of Fixed Assets-)			
during the year 2021-22 }			
add: Interest payable to govt.(Schedule 17)			
add: Reverted back to the extent it is not capitalized			
Rs.1,00,00,000			
Net Income from Grants			
174019169			
Fees / Subscription	14		
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17		
Other Income	18	14,27,615	7,35,377
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works in-progress	19	-	-
Fund Admin A/c		-	1,70,12,433
Project Proposal created during 2019-20 written off to the extend			2,297
Accumulated provisions for project porposal written off		-	15,66,674
Income receivable from Govt.Gratutiy & leave salary		16,35,830	19,23,278
TOTAL (A)		17,50,42,448	14,20,33,931
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	2,49,03,432	3,47,38,229
Other Administrative Expenses etc.	21	6,29,00,831	3,65,63,187
Fund Admin Expenditure Part of Sch-21B	21B	-	1,68,90,948
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	5,82,99,103	3,52,89,998
Interest	23	-	-
Depreciation as per Schedule 8		15,10,818	11,24,005
Earlier years depreciation now provided from 2017-18 to 2020-21 for the asset NIC ABS Phase I		15,21,275	-
Income Tax Refund		15,21,492	-
Payable to Government: Un-Utilized Grant		2,42,55,102	1,42,24,595
Interest payable to Govt. (3013181+753075+14845)		37,81,101	-
TOTAL (B)		17,86,93,154	13,88,30,962
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-36,50,706	32,02,969
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRMAN

**NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
TARAMANI, CHENNAI -600113**

Balance Sheet for the year ended 31st March, 2022

<u>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	Sch. No.	Current Year: 2021-22	Previous Year: 2020-21
CAPITAL FUND	1	57,00,542	1,73,75,609
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
NATIONAL BIODIVERSITY FUND	3 A	114,83,41,789	76,16,67,397
NATIONAL BIODIVERSITY FUND ADMIN	3 B	5,49,74,052	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	5,12,67,623	7,22,82,535
TOTAL		126,02,84,006	85,13,25,541
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	8	51,55,113	43,02,342
Advance payment for Building		-	1,00,00,000
NICSI total value of work Rs.4028461		-	38,29,309
Less: Work-in-Progress Rs. 199152		-	
Finished Goods Rs. 3829309		-	
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ ENDOW MENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES ETC.	11	125,51,28,893	83,31,93,891
TOTAL		126,02,84,006	85,13,25,541
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		


ACCOUNTS OFFICER


SECRETARY


CHAIRMAN

अध्याय 11

वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक योजना

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के जैव विविधता अधिनियम को लागू करने और जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) द्वारा दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए हर साल कार्रवाई बिंदुओं की एक सूची निर्धारित करता है। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है और उन्हें राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की सक्रिय भागीदारी के साथ और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से धन की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा।

1) बीएमसी के राज्यवार नेटवर्क में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा और मौजूदा परिचालन प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण करते हुए पीबीआर तैयार करना। बीएमसी की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करना और देश के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में और उसके आसपास निष्क्रिय बीएमसी के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देना।

2) राज्यों में पीबीआर तैयार करने की दिशा में अनुकूलित तंत्र की समीक्षा (स्थल और राज्य विशिष्ट पद्धतियाँ प्राप्त आंकड़ों का प्रमाणीकरण वित्तीय सहायता का उपयोग, सहायता की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो आदि)।

3) एसबीबी द्वारा प्रलेखित डेटा संकलित करने के लिए एक समान प्रारूप विकसित करने के लिए पीबीआर को डिजिटल बनाना

4) बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने के लिए एसबीबी को सहायता अनुदान के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पूरे भारत में स्थानीय निकायों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाना।

5) जैव संसाधनों, उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन से संबंधित लाइन विभागों के साथ वन्यजीव, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करना।

6) विभिन्न हितधारकों के लिए गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और सरकारी विभागों के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम, 2002 पर जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित करना और आयोजित करना।

7) विविध हितधारकों के लिए बीडी अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मीडिया, प्रिंट के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

8) आवश्यकता—आधारित सुधार की सुविधा प्रदान करना और जैव संसाधनों की सूची को अद्यतन करना जिन्हें बीडी अधिनियम की धारा 40 के तहत सामान्य रूप से कारोबार वाली वस्तुओं (एनटीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

9) संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करें और बीडी अधिनियम की धारा 38 के तहत विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने वाली प्रजातियों की सूची को अपडेट करना।

10) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से स्थानीय स्व-शासन कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों सहित हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को लाभान्वित करने के लिए जैव विविधता शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करना।

11) निर्णय लेने के लिए विषय मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए उपयुक्त और नियमित विशेषज्ञ समितियों की बैठकें आयोजित करना।

12) एनआईसी के सहयोग से एनबीए सचिवालय में एबीएस आवेदनों की वास्तविक समय प्रसंस्करण को लागू करना।

13) प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए लाल सैंडर्स पर रिपोर्ट में सुझाए गए निर्णयों को लागू करना।

14) लाभार्थियों के साथ जैविक संसाधनों औरध्या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से अर्जित लाभों को और बोवाइन मवेशी भ्रूण और लाल चंदन तक पहुंच पर अर्जित लाभों सहित साझा करना।

अध्याय 12

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

12.1. कानूनी और विनियामक ढांचे की समीक्षा

12.1.1. वर्तमान में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा या उसके खिलाफ किए जा रहे मुकदमे

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष मामलों का बचाव करने में केन्द्र सरकार के वकीलों की सहायता करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है।

विभिन्न न्यायालयों न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामलों की सूची तालिका 8 में दी गई है।

तालिका 8: विभिन्न न्यायालयों न्यायाधिकरणों के समक्ष एनबीए में लंबित मामले

क्रमांक	न्यायालय न्यायाधिकरण का नाम	केस नंबर	संख्या
1	प्रधान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जे. एम.एफ.सी., धारवाड़	C.C.579 of 2012	1
2	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 3590 of 2018	1
3	बंबई उच्च न्यायालय	W.P. No. 129 of 2020	1
4	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (तेलंगाना)	W.P. No. 23452 of 2018	1
5	बंबई उच्च न्यायालय नागपुर बेंच	W.P. No.6360 of 2015	1
6	कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलोर	W.P. No. 5546 of 2019	1
7	कर्नाटक उच्च न्यायालय धारवाड़ बेंच	CrI. P.No.100616 of 2014	1
8	कर्नाटक उच्च न्यायालय धारवाड़ बेंच	CrI. P.No.100618 of 2014	1
9	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 41622 of 2018	1
10	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 41903 of 2018	1
11	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 41976 of 2018	1
12	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P (Civil) No. 42017 of 2018	1
13	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	W.P. (Civil) No.33501 of 2019	1
14	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच	W.P No. 8880 of 2019	1

क्रमांक	न्यायालय न्यायाधिकरण का नाम	केस नंबर	संख्या
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच	W.P No. 6968 of 2017; OA.No. 31/2017	1
16	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच	W.P. No. 6466 of 2020	1
17	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई	Original Application No.10/2014	1
18	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL No 5826 of 2019	1
19	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CIVIL APPEAL No 5827 of 2019	1
20	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP 8137/ 2018	1
21	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's 18122 of 2019-18127 of 2019	1
22	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's. 17471 of 2019 -17476 of 2019	1
23	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP No's 18141 of 2019 – 18146 of 2019	1
24	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.539/2014 (Crl)	1
25	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.629/2014 (Crl) Crl. App.1720 of 2015	1
26	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP.No.7951/2014 (Civil)	1
27	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	Civil Appeal No. 9077 of 2019	1
28	तेलंगाना उच्च न्यायालय	WP(PIL) 181 of 2020	1
29	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	W.P. No. 852 of 2020	1
30	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA No. 3568 3569 of 2020	1
31	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	SLP C No. 000544-/2021	1
32	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (तेलंगाना साइट)	C.C. NO 3306 OF 2018	1
33	एनजीटी, कोलकाता	O.A. No. 64/2020	1
34	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	WP c 21048 of 2020	1
35	कर्नाटक उच्च न्यायालय	WP 14733 of 2020	1
36	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	PIL 30 of 2020	1
37	मद्रास उच्च न्यायालय(एमडी)	WP(MD)6608/2021	1
38	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CA. No.933 of 2020	1
39	गुजरात उच्च न्यायालय	SCA 6176 of 2021	1
40	बंबई उच्च न्यायालय(औरान)	PIL No. 63 of 2021	1
41	कर्नाटक उच्च न्यायालय	WP. No.8579 of 2021	1
42	एनजीटी, चेन्नई	Appeal 61 of 2021	1
43	एनजीटी, चेन्नई	Appeal 62 of 2021	1

क्रमांक	न्यायालय न्यायाधिकरण का नाम	केस नंबर	संख्या
44	एनजीटी, चेन्नई	Appeal 63 of 2021	1
45	बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर बी	Suo Motu PIL 2/2021	1
46	तेलंगाना उच्च न्यायालय	WP No. 28517 of 2021	1
47	मद्रास उच्च न्यायालय	WP. No. 24688 of 2021	1
48	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/24698/2021	1
49	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/24696/2021	1
50	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/24694/2021	1
51	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/24693/2021	1
52	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/24691/2021	1
53	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/25992/2021	1
54	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26977/2021	1
55	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26969/2021	1
56	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26965/2021	1
57	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26962/2021	1
58	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26957/2021	1
59	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26956/2021	1
60	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26953/2021	1
61	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26948/2021	1
62	मद्रास उच्च न्यायालय	WP/26944/2021	1
63	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/28408/2021	1
64	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/28405/2021	1
65	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/28395/2021	1
66	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/28394/2021	1
67	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/28391/2021	1
68	मद्रास उच्च न्यायालय	WMP/28389/2021	1
69	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	W.P. (MS) No. 41/2022	1

12.1.2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप अक्षरशः संसाधित किया गया और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कानूनी प्रकोष्ठ की सहायता से निपटाया गया (तालिका 9)

तालिका 9: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई की सूची

क्रमांक	तिमाही	प्राप्त आरटीआई आवेदन की संख्या	प्राप्त आरटीआई अपील की संख्या	निष्पादित आरटीआई आवेदनों की संख्या	निष्पादित आरटीआई अपील की संख्या
1	प्रथम तिमाही 01.04.2021 to 30.06.2021	07	05	02	00
2	द्वितीय तिमाही 01.07.2021 to 30.09.2021	05	05	01	03
3	तृतीय तिमाही 01.10.2021 to 31.12.2021	11	10	01	01
4	चतुर्थ तिमाही 01.01.2022 to 31.03.2022	04	07	02	02
योग		27	27	06	06

12.1.3. राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) की बैठक

रिपोर्टिंग अवधि में, एनबीए ने 28 राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और 8 संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) के साथ नियमित परामर्श और बैठकें आयोजित कीं। 2019 से, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसरण में, एनबीए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीएमसी के गठन और पीबीआर तैयार करने की प्रगति को जोरदार ढंग से आगे बढ़ा रहा है। इस अवधि के दौरान एसबीबी और यूटीबीसी द्वारा किए गए कार्यों और प्रगति पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल मोड में कुल 12 मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

इस संबंध में एनबीए ने इस अवधि के दौरान संबंधित हितधारकों के साथ 15 बैठकों की एक श्रृंखला बुलाई, जैसा कि तालिका 10 में दिया गया है:

तालिका 10: बीएमसी की स्थापना की स्थिति और प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने और पीबीआर तैयार करने के लिए एसबीबी & यूटीबीसी के साथ आयोजित बैठकों की सूची

क्रमांक	बैठक	दिनांक	स्थानधर्म -माध्यम	प्रतिभागी
1	समीक्षा एवं अनुवीक्षण बैठक	28 / 04 / 2021	वर्चुअल	एसबीबी, यूटीबीसी, एनबीए
2	"	27 / 05 / 2021	"	"

क्रमांक	बैठक	दिनांक	स्थानधई -माध्यम	प्रतिभागी
3	"	25 / 06 / 2021	"	"
4	"	28 / 07 / 2021	"	"
5	"	27 / 08 / 2021	"	"
6	"	28 / 09 / 2021	"	"
7	"	28 / 10 / 2021	"	"
8	"	30 / 11 / 2021	"	"
9	"	29 / 12 / 2021	"	"
10	"	27 / 01 / 2022	"	"
11	"	28 / 02 / 2022	"	"
12	"	31 / 03 / 2022	"	"
13	"	25 / 01 / 2022	"	"

12.1.4. एशियाई जल पक्षी गणना (एडब्ल्यूसी) पर एसबीबी और यूटीबीसी की बैठक

देश भर में आर्द्रभूमि में और संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित साइटों से परे जल पक्षी निगरानी को संस्थागत बनाने के लिए, एशियाई जल पक्षी जनगणना (एडब्ल्यूसी) नेटवर्क ने 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के साथ भागीदारी की। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र नेटवर्क ने आर्द्रभूमि संरक्षण और जलपक्षी निगरानी में अपने सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी), केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) और पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के साथ सहयोग किया, और जैव विविधता अधिनियम (2002) की धारा 41 (1) के तहत अनिवार्य जन जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) को मजबूत करने के लिए जनगणना का उपयोग किया। एनबीए ने वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सहायता से 21 और 25 जनवरी 2022 को एसबीबी और यूटीबीसी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की।

12.1.5. केंद्रीय पीबीआर गुणवत्ता निगरानी समिति की बैठकें

2016 के ओए 347 के मामले में माननीय एनजीटी के दिनांक 09.08.2019 के आदेश और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दो पीबीआर गुणवत्ता निगरानी समितियों के गठन के मद्देनजर, एनबीए देश भर में तैयार पीबीआर की गुणवत्ता की देखरेख के लिए समितियों के कार्यों में सहायता कर रहा है

1. एनबीए द्वारा 31 मई, 2021 को केंद्रीय पीबीआर निगरानी समिति और असम राज्य पीबीआर गुणवत्ता मूल्यांकन समिति के सदस्यों के बीच असम राज्य जैव विविधता बोर्ड की सहायता से राज्य में तैयार किए गए जन जैव विविधता रजिस्ट्रों (पीबीआर) के मूल्यांकन के तरीकों और तौर-तरीकों के बारे में चर्चा करने के लिए एक वर्चुअल परामर्श आयोजित किया गया था।

2. जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) निगरानी समितियों की 5 वीं बैठक 15 सितंबर 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तैयार पीबीआर की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए दोनों समितियों के सदस्यों द्वारा साइट विजिट की संभावना पर चर्चा की गई थी।

3. अक्टूबर-दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान समिति के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों का दौरा किया। समिति के सदस्यों ने एनबीए को पीबीआर की फील्ड और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

4. पीबीआर गुणवत्ता निगरानी मूल्यांकन समिति की अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपी गई थी।

12.1.6. एनबीए द्वारा एसबीबी और यूटीबीसी को दी गई वित्तीय सहायता

एनबीए राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों को उनके संचालन और बीएमसी को मजबूत करने, संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करने, हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने और उनकी वेबसाइटों को विकसित वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान एनबीए ने बीएमसी के सुदृढ़ीकरण और 10 एसबीबी और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पीबीआर तैयार करने उन्नयन के लिए 2,01,00,000 रुपये का अनुदान जारी किया। इस अवधि में 24 एसबीबी और 4 यूटीबीसी के कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए कुल 3,52,11,714 रुपये की सहायता अनुदान जारी किया गया। मार्च 2022 के अंत तक, 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में देश भर में कुल 2,76,836 बीएमसी स्थापित किए गए और 2,66,102 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया (तालिका 11)।

तालिका 11: राज्यवार गठित बीएमसी और वर्ष 2020-2021 की शुरुआत में संख्या प्रदर्शित करते हुए, स्थापित खोली गई संख्या और वर्ष के अंत में संख्या प्रदर्शित करते हुए तैयार पीबीआर

क्रमांक	राज्यध्यूटी	स्थापित बीएमसी		तैयार पीबीआर	
		2020.21	2021.22	2020.21	2021.22
1	आंध्र प्रदेश	14212	14157	12711	14157
2	अरुणाचल प्रदेश	1806	1806	1806	1806
3	असम	2549	2549	2549	2549
4	बिहार	9099	9101	8464	9101
5	छत्तीसगढ़	12004	12004	2605	3272
6	दिल्ली	0	0	0	0

क्रमांक	राज्यध्यूटी	स्थापित बीएमसी		तैयार पीबीआर	
		2020.21	2021.22	2020.21	2021.22
7	गोवा	205	205	205	205
8	गुजरात	13578	14356	12774	14716
9	हरियाणा	6435	6435	6437	6437
10	हिमाचल प्रदेश	3371	3371	3371	3371
11	जम्मू – कश्मीर	4666	4666	4666	4666
12	झारखंड	4684	4684	4684	4684
13	कर्नाटक	6554	6554	6554	6554
14	केरल	1200	1200	1034	1034
15	मध्य प्रदेश	23557	23557	23557	23557
16	महाराष्ट्र	28649	28649	28649	28649
17	मणिपुर	2260	2260	71	199
18	मेघालय	5451	6473	5451	6473
19	मिजोरम	894	894	894	894
20	नागालैंड	1119	1238	1119	1238
21	उड़ीसा	7256	7256	7256	7256
22	पंजाब	13599	13599	13599	13599
23	राजस्थान	10406	11839	40	11716
24	सिक्किम	196	196	196	196
25	तमिल नाडु	13604	13604	13604	13604
26	तेलंगाना	13461	13461	13461	13461
27	त्रिपुरा	1264	1264	1264	1264
28	उत्तर प्रदेश	59407	59407	59407	59407
29	उत्तराखंड	7991	7991	7991	7991
30	पश्चिम बंगाल	3828	3830	3702	3830
31	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71	71	25	71
32	चंडीगढ़	0	1	0	1
33	दादरा – नागर हवेली	0	44	0	44
	दमन – दियु				
34	लदाख	65	100	0	0
35	लक्षद्वीप	10	10	10	10
36	पुदुचेरी	0	0	0	0
कुल		273451	276836	248156	2,66,012

12.2. एनबीए द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण एवेन्ट्स घटनाएं

12.2.1. एनबीए के 18वें स्थापना दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का 18 वां स्थापना दिवस समारोह 1 अक्टूबर 2021 को एनबीए, चेन्नई में हाइब्रिड मोड में मनाया गया। तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती सुप्रिया साहू मुख्य अतिथि थीं डॉ. वि.बि. माथुर ने साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती बी.वी. उमादेवी विशिष्ट अतिथि थीं।



12.2.2. हिंदी सप्ताह का आयोजन

एनबीए के कर्मचारियों ने 13 से 17 सितंबर, 2021 तक हिंदी सप्ताह और 14 सितंबर, 2021 को हिंदी दिवस मनाया। एनबीए के कर्मचारियों के लिए हिंदी सप्ताह के आयोजन के संबंध में प्रश्नोत्तरी, गीत गायन, हस्त लेखन और निबंध लेखन और हिंदी-अंग्रेजी से अनुवाद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और 17 सितंबर 2021 को विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।



12.2.3. राष्ट्रीय वकील दिवस का आयोजन

एनबीए के कर्मचारियों ने 26 नवंबर, 2021 को राष्ट्रीय वकील दिवस मनाया। एनबीए के सचिव ने सभा को संबोधित किया और इस दिवस के महत्व को उजागर किया।

12.2.4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह (28 अक्टूबर-2 नवंबर 2021)

केंद्रीय सतर्कता आयोग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर एनबीए कर्मचारियों को 26 अक्टूबर, 2021 को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई।

12.2.5. आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का आयोजन

एनबीए के कर्मचारियों ने 21 दिसंबर, 2021 को आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया। एनबीए के अध्यक्ष और सचिव ने सभा को संबोधित किया और आयोजन के महत्व को स्पष्ट किया। एनबीए कर्मचारियों को संरक्षण की शपथ दिलाई गई।



1 2.3. परियोजनाएं/कार्यक्रम

बीडी अधिनियम और नियमों के माध्यम से अधिदेशित कार्यों के अलावा, एनबीए को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परियोजनाओं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के कार्य सौंपे गए हैं। परियोजनाओं कार्यक्रमों का उद्देश्य सीबीडी और बीडी अधिनियम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और पूरक बनाना है।

1 2.3.1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-एनबीए-यूएनडीपीरू जैव विविधता वित्त पहल (बायोफिन) परियोजना (विस्तारित चरण-II 2021-25)

जैव विविधता संरक्षण के लिए संसाधन जुटाने को बढ़ाने और भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) को लागू करने और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (एनबीटी) को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015 में, एक ढांचे के विकास के माध्यम से जो अभिनव मिश्रित वित्तपोषण विधियों को प्रदान करता है, भारत में जैव विविधता वित्त पहल (बायोफिन) शुरू की गई थी।

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने दिनांक 2 जनवरी, 2015 के डीओ संख्या सी-12027.1.14.सीएस-III और दिनांक 19 मई 2021 के डी.ओ. संख्या सी-12027.1.14.सीएस-III (पं.) के अपने पत्रों के माध्यम से यूएनडीपी को बायोफिन में भाग लेने की भारत सरकार की इच्छा से अवगत कराया गया। भारत में विस्तारित चरण 2 बायोफिन परियोजना (2021-25) के तहत, एमओईएफसीसी को मेजबान एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) भारत में बायोफिन परियोजना (2021-25) के विस्तारित चरण के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए नामित तकनीकी एजेंसी है।

बायोफिन के तहत जैव विविधता व्यय समीक्षा और किए गए आकलन के अनुसार, एनबीएपी को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक औसत वित्तीय आवश्यकताएं लगभग 16.5 बिलियन अमरीकी डालर (2017-18 से 2021-22) हैं। इस अवधि (2017-18 से 2021-22) के दौरान जैव विविधता संरक्षण (केंद्र और राज्य सरकारों से) के कारण अनुमानित कुल सार्वजनिक वित्त लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर (1 अमरीकी डालर = 70 रुपये की /@exchange दर) होने का अनुमान है। जबकि सार्वजनिक वित्त पोषण देश में जैव विविधता वित्तपोषण का मुख्य आधार है, निजी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए संसाधन जुटाने की भी बड़ी क्षमता है, लेकिन वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की कमी, टिकाऊ व्यवसायों के लिए जैव विविधता में निवेश के सह-लाभों को समझने के मामले में सीमित तकनीकी क्षमता, एक सीमा है।

वित्तपोषण अंतर के आकलन के साथ-साथ जैव विविधता शासन और वित्तपोषण के लिए तकनीकी और संस्थागत क्षमताओं के आधार पर जैव विविधता संरक्षण और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटन बढ़ाने के लिए जैव विविधता वित्त योजना में वित्तीय समाधानों का मिश्रण प्रस्तावित किया गया है।

तदनुसार, भारत की जैव विविधता वित्त योजना (कार्य दस्तावेज), 2019 के आधार पर भारत में बायोफिन के चरण II विस्तारित (2021–25) में कार्यान्वयन के लिए चार जैव विविधता वित्त समाधानों को प्राथमिकता दी गई थी। ये हैं (I) सार्वजनिक वित्त (कृषि क्षेत्र) में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना (II) जैव विविधता के प्रति कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (III) पहुंच और लाभ हिस्सेदारी से संसाधनों को बढ़ाना (IV) जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकियां (फिनटेक)।

प्रकृति से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण ढांचे के लिए हितधारकों के बीच तत्परता का आकलन करने के लिए एक विस्तृत नीति और संस्थागत समीक्षा के बाद, बायोफिन इंडिया ने ब्रिटेन सरकार से वित्त पोषण के माध्यम से जून 2022 में अपने विस्तारित चरण— प्रकृति से संबंधित जोखिम आकलन और भारत में रिपोर्टिंग में पांचवां वित्त समाधान जोड़ा।

14–29 मार्च, 2022 आयोजित जिनेवा जैव विविधता सम्मेलन की फिर से शुरू की गई बैठकों के दौरान, एनबीए और यूएनडीपी ने 15 मार्च, 2022 को “फ्लोजिंग द फाइनेंस गैपर्स जैव विविधता के लिए वित्त जुटाने के लिए बायोफिन का दृष्टिकोण” शीर्षक पर एसबीआई –3, साइड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें एनबीए, एमओईएफसीसी और यूएनडीपी के अधिकारियों ने भाग लिया।

जिनेवा जैव विविधता सम्मेलन की फिर से शुरू की गई बैठकों के दौरान, 26 मार्च 2022 को एक साइड इवेंट आयोजित किया गया था। भारत में 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के साथ राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय कार्यवाहियों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए अभिनव समावेशी प्रक्रियाएं, जिसमें भारत ने 2020 से सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित विचार विमर्श करके अपनी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, भारत ने उसमें दक्षिण एशियाई देशों को शामिल किया और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूएनडीपी के सहयोग से युवाओं ६ स्कूली बच्चों के लिए एम–सीओपी का आयोजन किया, जिसमें एनबीए, एमओईएफसीसी और यूएनडीपी के अधिकारियों ने भाग लिया।

जिनेवा जैव विविधता सम्मेलन की पुन आरम्भ की गई बैठकों के दौरान, 27 मार्च 2022 को एक साइड इवेंट आयोजित किया गया था, जिसका विषय था— सहभागी जैव विविधता संसाधन शासन सशक्तिकरण के लिए आईसीटी सामुदायिक उपकरणों का उपयोग करना, जिसने भारत जैव विविधता पुरस्कारों के माध्यम से जैव विविधता शासन पर दिए गए पुरस्कारों पर प्रकाश डाला है, जिसमें एनबीए, एमओईएफसीसी और यूएनडीपी अधिकारियों ने भाग लिया।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

14–29 मार्च, 2022 को आयोजित जिनेवा जैव विविधता सम्मेलन की फिर से शुरू की गई बैठकों के दौरान, एनबीए और यूएनडीपी ने 15 मार्च, 2022 को फ्लोजिंग द फाइनेंस गैपर्स बायोफिन का दृष्टिकोण जैव विविधता के लिए वित्त जुटाने के लिए बायोफिन का दृष्टिकोण शीर्षक पर एसबीआई –3, साइड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें एनबीए, एमओईएफसीसी और यूएनडीपी के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए व्यवसाय, 09 फरवरी, 2022 को प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए व्यापार पर 2022 उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया गया था।

7 दिसंबर, 2021 को बायोफिन, प्लैनेट ट्रेकर, टाटा स्टील, जैव विविधता परामर्श के साथ बायोफिन वेबिनार जैव विविधता-व्यवसाय-फ्रेमवर्क दिशानिर्देश उदाहरण आयोजित प्रस्तुत किया गया था।

अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डी.ओ. संख्या सी-12027/1/14-सीएस-III (भाग) दिनांक 19 मई, 2021 के अंतर्गत यूएनडीपी जैव विविधता वित्त पहल (बायोफिन) के वैश्विक प्रबंधक श्री ओन्नो वान डेन ह्यूवेल को वैश्विक जैव विविधता वित्त पहल में भाग लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति से अवगत कराया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सीएस प्-जैव विविधता प्रभाग) ने दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के एफ.सं. सी-12027.1.14-सीएस-प् (पं.) के माध्यम से अपर सचिव की अध्यक्षता में और संयुक्त सचिवसलाहकार की सह-अध्यक्षता में आईसीएआर- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम) के जरिये एक बहुक्षेत्रीयअंतर-मंत्रालयी परियोजना संचालन समिति (पीएससी) का गठन किया है। इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं-

1. भारत में कृषि क्षेत्र की विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाने के लिए एक ढांचा
2. नीति संक्षिप्त विवरणरू सार्वजनिक वित्त में जैव विविधता को मुख्यधारा में लानारू भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक मामला (कृपया अनुलग्नक 3 देखें)
3. कृषि क्षेत्र में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षकों की मार्गदर्शिका।
4. कृषि विकास योजनाओं में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने हेतु विकास विभाग के अधिकारियों के साथ इंटरफेस।

यूएनडीपी ने निजी क्षेत्र में कनिष्ठ और मध्य-स्तरीय प्रबंधकों के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि के लिए लचीलापन का निर्माण पर एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीआईआई-आईबीआई और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है ताकि उन्हें अपने व्यवसायों के लिए जैव विविधता के महत्व को समझने और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिल सके।

बायोफिन ने भारत में पहुंच और लाभ साझेदारी (एबीएस) को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणन योजना विकसित करने की दिशा में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला की सुविधा प्रदान की। इन बैठकों में संचालन समिति, तकनीकी समिति और प्रमाणन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इन विचार-विमर्शों में 20 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

वीसीएस-आई-एबीएस का उद्देश्य उन व्यवसायों को पहचानना और पुरस्कृत करना है जो जैविक संसाधनों और या संबंधित ज्ञान पर निर्भर करते हैं जिन्हें एनबीए और उसके घटक निकायों द्वारा जैविक और आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए अधिकृत किया गया है जिन्होंने कानून का अनुपालन किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रवचन में चार प्रमुख स्तंभों अर्थात् समुदायों, जैव-संसाधन प्रबंधन संस्थानों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को शामिल करना है।

भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए फिनटेक का लाभ उठाने वाले क्षेत्रों का आकलन करने के लिए 2021 में एक स्कोपिंग अध्ययन किया गया था। इसके बाद, फिनटेक स्पेस में निम्नलिखित संगठनों के साथ-साथ उन संगठनों के साथ एक-से-एक परामर्श आयोजित किया गया जो फिनटेक समाधान विकसित करने में योगदान देने वाली प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। बायोफिन ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विभिन्न फिनटेक अनुप्रयोगों पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित संगठनों के कुल 5 हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया थारू

- ★ पेटीएम
- ★ वर्षा मामले(रेनमैटर)
- ★ एनएएआरएम ऐग्री-इन्क्यूबेटर
- ★ अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंध के लिये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT)
- ★ डब्ल्यूएचएचआरएल- ब्लॉकचेन पर गोदाम रसीद के खिलाफ ऋण

1 2.4. राज्य जैव विविधता बोर्डों की गतिविधियाँ

वर्ष 2021-22 में जैव विविधता शासन से संबंधित संस्थागत तंत्र के नियमित कामकाज में आमूलचूल बदलाव देखा गया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने एनबीए, एसबीबीड्यूटीबीसी में परिचालन प्रक्रिया को प्रभावित किया और तंत्र को भौतिक से आभासी में बदल दिया। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बैठकें वर्चुअल मोड में आयोजित की गई हैं। महामारी का प्रभाव बीएमसी की स्थापना और पीबीआर के प्रलेखन की प्रक्रिया पर पड़ा, क्योंकि जमीनी स्तर के कर्मचारियों की सीमित आवाजाही, कई क्षेत्रों तक पहुंच न होने और प्रगति के स्तर में कमी आई। हालांकि, बाद के चरणों में स्थिति में सुधार हुआ और गतिविधियां काफी हद तक फिर से शुरू हो गईं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी आधिकारिक कार्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया और जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में ईमानदारी से प्रयास किए।

1 2.4.1. आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश एसबीबी द्वारा 9 नवंबर 2021 को एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। रिपोर्ट अवधि के तहत पहले सभी स्थानीय निकायों में 14,157 बीएमसी की स्थापना पूरी हो गई थी। हालांकि, ग्राम पंचायतों और नगर पालिका के स्तर पर 2021-22 के दौरान 1363 पीबीआर तैयार किए गए थे। 2021-22 में वर्चुअल और फिजिकल मोड में कुल 65 जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एपीएसबीबी ने जैव विविधता संरक्षण में उनके योगदान के लिए 29 व्यक्तियों और संगठनों का चयन किया और 2021 में एपी जैव विविधता संरक्षक पुरस्कार प्रदान किए। बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में मुहानों और जैव विविधता संरक्षण पर घरेलू हर्बल उद्यान विकसित करने पर लघु फिल्में विकसित की थीं। बोर्ड ने बीएमसी के बीच वितरण के लिए जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर दो ब्रोशर भी विकसित किए हैं।

12.4.2. अरुणाचल प्रदेश

15 फरवरी 2022 को एक बोर्ड बैठक बुलाई गई थी और रिपोर्टअवधि के तहत पहले सभी बीएमसी का गठन किया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल और संबंधित प्रतिबंधों के कारण बोर्ड की गतिविधियां प्रभावित हुईं। आईडीबी 2021 वर्चुअल मोड में मनाया गया। पापुमपारे जिला पंचायत बीएमसी के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया और आजादी का अमृत मोहोत्सव के एक हिस्से के रूप में जैव विविधता वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, बीएमसी और अन्य हितधारकों को शामिल किया गया। एसबीबी ने 11 से 15 फरवरी 2022 तक एशियाई जल पक्षी गणना 2022 में भी भाग लिया।

12.4.3. असम

इस अवधि में, असम जैव विविधता बोर्ड ने 23 सितंबर, 2021 को अपनी एकमात्र बैठक आयोजित की। बोर्ड ने सभी 2549 बीएमसी का गठन किया था और रिपोर्टिंग अवधि से पहले उन स्थानीय निकायों के लिए पीबीआर तैयार किए थे। इस अवधि में असम की संकटग्रस्त प्रजातियां और माजुली जैव विविधता विरासत स्थल पर दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। एबीएस तंत्र पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम के रूप में, चंद्रपुर आंचलिक पंचायत बीएमसी ने 12 सितंबर, 2021 को स्थानीय पौध विविधता जैविक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बोरजुली ग्राम पंचायत



बीएमसी की क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और बोरजुली को जंगली चावल के लिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने पर परामर्श इस वर्ष के दौरान आयोजित किये गये थे। दलमारा जैव विविधता प्रबंधन समिति, कार्बी आंगलोंग पूर्व डिवीजन और गुइजान आंचलिक बीएमसी, तिनसुकिया की जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन नवंबर-दिसंबर, 2021 में किया गया था।

1 2.4.4. बिहार

बिहार जैव विविधता बोर्ड ने विचाराधीन वर्ष के दौरान एक बैठक आयोजित की। इस वर्ष के अंत तक, सभी 9101 बीएमसी का गठन किया गया है, जिनमें से 8567 बीएमसी ने रिपोर्ट के तहत इस अवधि के दौरान अपने पीबीआर तैयार किए हैं। "गंगा प्रहरी" के लिए अप्रैल-मई में ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ताकि पीबीआर तैयार करने की दिशा में उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) 2021 के अवसर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। बोर्ड ने हेरिटेज ट्री की सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की है और ऐसे पेड़ों से संबंधित अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिए एक ऐप विकसित किया है।

1 2.4.5. छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ एसबीबी ने इस अवधि के दौरान एक बैठक आयोजित की। राज्य में सभी 12004 बीएमसी रिपोर्ट के तहत अवधि से पहले स्थापित किए गए थे। अब तक तैयार किए गए 4205 पीबीआर में से 1600 पीबीआर को 2021-22 के दौरान प्रलेखित किया गया है। सीएसबीबी ने बीएमसी की स्थापना और पीबीआर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। जैव विविधता संरक्षण, आर्द्रभूमि प्रबंधन और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। बेलौदी आर्द्रभूमि परिसर के प्रवासी पक्षियों पर भेहमन परिदे नामक एक लघु फिल्म विकसित की गई थी। प्रदेश में औषधीय पौधों के मूल्यांकन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

1 2.4.6. गोवा

गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 6 जुलाई 2021 को एक बैठक आयोजित की गई है। बोर्ड का पुनर्गठन एक आधिकारिक अधिसूचना (संख्या 7/17/92/एसटीई/भाग/975 दिनांक 23.12.2021)



के द्वारा किया गया है। गोवा में सभी बीएमसी का गठन रिपोर्टिंग अवधि से पहले ही किया जा चुका है और पीबीआर की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। जीएसबीबी ने छात्रों और युवा समूहों को शामिल करके आईडीबी 2021 का वर्चुअल जश्न मनाया था। विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माननीय पर्यावरण मंत्री श्री नीलेश काबराल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने गोवा के साल्सेट के कैवेलोसिम में रेत के टीले के जीर्णोद्धार स्थलों का दौरा किया। बोर्ड ने रिपोर्ट के



तहत अवधि के दौरान कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए थे। वर्तमान में, गोवा एसबीबी राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी), "आत्मनिर्भर स्वयं पूर्ण" गोवा के लिए नोडल एजेंसी और गोवा वन विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य हैं। गोवा एसबीबी ने जैव विविधता की रक्षा के लिए बीएमसी और व्यक्तियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए संरक्षण पुरस्कारों को भी संस्थागत रूप दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए पूरे गोवा में स्ट्रीट वैंडर्स को कॉटन बैग बांटे गए।

1 2.4.7. गुजरात

गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान चार बैठकें बुलाई। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने ग्राम पंचायत स्तर पर 14265 बीएमसी, ब्लॉक स्तर पर 102 बीएमसी, नगर पालिका स्तर पर 73 और जिला स्तर पर 10 बीएमसी का गठन किया है। मार्च 2022 के अंत तक कुल 1834 पीबीआर तैयार किए गए हैं। बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (फ़ेब्रुअरी) 2022 मनाया

1 2.4.8. हरियाणा

हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 29 नवंबर 2021 को अपनी 8 वीं बैठक आयोजित की। एसबीबी ने सभी 6435 बीएमसी का गठन किया है और सभी बीएमसी में पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया है, जिनमें से विचाराधीन वर्ष के दौरान 4205 पीबीआर का उन्नयन किया गया है। एचएसबीबी ने जिला समन्वयकों, तकनीकी सहायता समूहों के सदस्यों, एचएसबीबी और वन और वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के बीच वितरण के लिए "जैव विविधता संरक्षण में चुनौतियां – राज्य का परिप्रेक्ष्य" शीर्षक से पुस्तिकाएं प्रकाशित की थीं। हितधारकों के बीच व्यापक उपयोग और परिसंचरण के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन के लिए दिशानिर्देश नामक एक पुस्तिका भी विकसित की गई थी। हरियाणा राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए एचएसबीबी द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के समन्वय से एक स्थापना कार्यशाला आयोजित की गई थी। जागरूकता बढ़ाने के लिए द्वि





भाषी पर्चे अर्थात् जैव विविधता संरक्षण और एचएसबीबी के कार्य, जैव विविधता विरासत स्थल और जैविक संसाधनों तक पहुंच और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझा करने पर दिशानिर्देश विकसित किए गए थे। बोर्ड ने इस अवधि के दौरान फील्ड विजिट, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और जागरूकता, कौशल विकास और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 को भी उचित तरीके से मनाया है।

12.4.9. हिमाचल प्रदेश

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। राज्य में कुल 3371 बीएमसी में से 854 का इस अवधि के दौरान पुनर्गठन किया गया है। अब तक विभिन्न स्तरों पर 3371 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। जागरूकता सृजन के एक हिस्से के रूप में, एचपीएसबीबी ने आईडीबी 2021 मनाया है। चंबा, लाहौल और स्पीति जिलों में बीएमसी, पंचायतों के





पदाधिकारियों और लाइन विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए कई प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ऊना और हमीरपुर जिलों में इसी तरह के लक्षित समूहों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा एचपीएसबीबी ने शआजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर वेबिनार और रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान शआर्द्रभूमि और गिद्ध संरक्षण पर ऑनलाइन व्याख्यान का भी आयोजन किया।

12.4.10. झारखंड

झारखंड जैव विविधता बोर्ड ने छात्र समूहों को शामिल करके और निबंध लेखन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं के आयोजन के द्वारा आईडीबी 2021 मनाया। बोर्ड ने इस अवधि के दौरान चार अलग-अलग वन प्रभागों में एशियाई जल पक्षी गणना भी की।

12.4.11. कर्नाटक

2021-22 के दौरान कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड (केबीबी) द्वारा तीन बैठकें बुलाई गईं। बोर्ड ने बीडी अधिनियम, 2002 की धारा 23 (बी) के तहत 5 आवेदनों और धारा 24 (1) के तहत 70 आवेदनों को मंजूरी दी थी। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग और नगरपालिका प्रशासन विभाग की सक्रिय भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 मनाया गया। "जैव विविधता अभियान" पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया गया था। केएमपीए और अन्य निजीधरकारी संगठनों की सहायता से हर्बल चिकित्सकों को शामिल करते हुए एक उत्सव (मूलिका उत्सव) का आयोजन किया गया। औषधीय पौधों और संबंधित पारंपरिक प्रथाओं पर ज्ञान प्रदान करने के लिए वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड ने अधिनियम के कार्यान्वयन में 17 वर्ष की उपलब्धि के अवसर पर "विकेन्द्रीकृत जैव विविधता प्रबंधन-कर्नाटक के अनुभव" प्रकाशित किया था।

1 2.4.1 2. केरल

2021-22 के दौरान दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि में धारा 24(1) के तहत 54 भारतीय कंपनियों द्वारा पूर्व सूचना दी गई है। 14 जिलों में से, त्रिवेंद्रम, पथनमथिट्टा और कोल्लम के 3 जिलों के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षण कार्यक्रम इस अवधि में पूरे किए गए हैं। आयुर्वेद दवा निर्माण संघ के सहयोग से तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। बोर्ड ने विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महासागर दिवस, आईडीबी और राष्ट्रीय पक्षी घड़ी दिवस आदि जैसे स्मारक दिवस मनाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25 नवंबर, 2021 को विभिन्न श्रेणियों के तहत जैव विविधता पुरस्कार वितरित किए गए हैं। केएसबीबी ने 27 से 30 सितंबर 2021 के बीच "जैव संसाधन, वाणिज्यिक उपयोग— रुझान, बाजार, आपूर्ति श्रृंखला, संभावनाएं और स्थिरता" शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया।

1 2.4.1 3. मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश एसबीबी ने 2021-22 के दौरान दो बैठकें बुलाईं। राज्य में सभी 23,557 बीएमसी स्थापित किए गए थे और रिपोर्टिंग अवधि से पहले पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया था। एमपीएसबीबी ने अनूपपुर जिले में अमरकंटक जैव विविधता विरासत स्थल की अधिसूचना प्रक्रिया शुरू की। बोर्ड ने रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान धारा 23 (बी) के तहत 327 आवेदनों और धारा 24 (1) के तहत 432 आवेदनों को मंजूरी दी है। बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जैव विविधता प्रश्नोत्तरी आयोजित की है और अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2021, रेडियो कार्यक्रम, प्ललती रहे जिंदगी और ऑनलाइन फोटोग्राफ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के अलावा वन्यजीव सप्ताह मनाया है। जैव विविधता संरक्षणकर्ताओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत राज्य जैव विविधता पुरस्कार प्रदान किए गए। हरित भारत मिशन के अंतर्गत एमपीएसबीबी के लिए स्वीकृत निधियों का उपयोग जैव विविधता मूल्यांकन, प्रशिक्षण, बीएमसी के क्षमता निर्माण के लिए किया गया है।

1 2.4.1 4. महाराष्ट्र

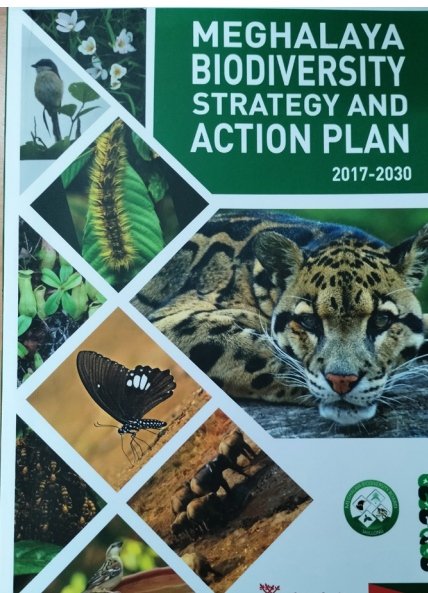
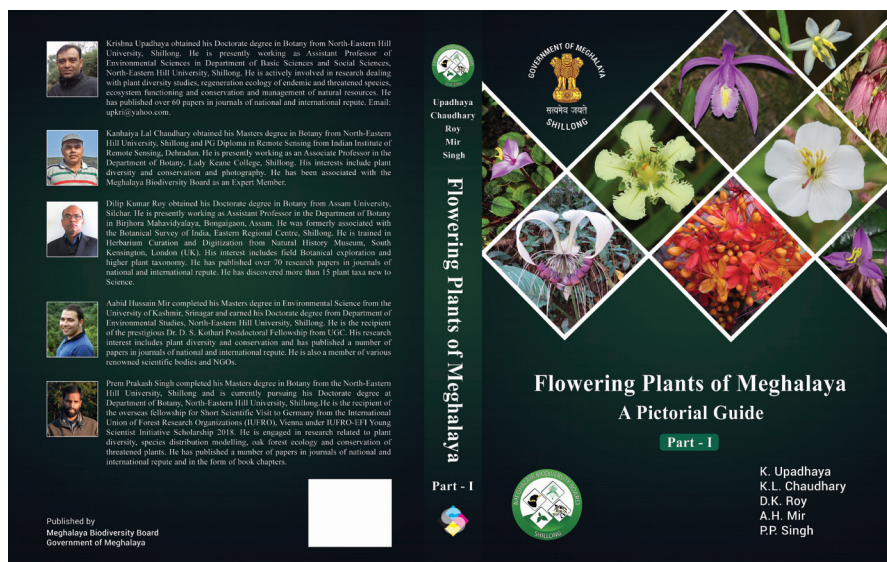
इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र एसबीबी द्वारा तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गई हैं। 2021-22 के दौरान, एमएसबीबी ने राज्य में बीएचएस पर एक वीडियो, एक जंगल बेल और ब्रोशर जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 22 मई 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में और आईडीबी उत्सव के एक हिस्से के रूप में मनाया गयाय प्रदेश के विभिन्न राजस्व संभागों में कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। इसके अलावा, राज्य बोर्ड ने इस रिपोर्टिंग अवधि में विश्व पर्यावरण दिवस, प्रकृति संरक्षण दिवस और बोर्ड का स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र एसबीबी ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन के खिलाफ 21 मामलों में विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं।

12.4.15. मणिपुर

एसबीबी द्वारा 24 दिसंबर 2021 को मणिपुर एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान एमएसबीबी ने वी गली के दो क्षेत्रीय वन प्रभागों और पहाड़ियों में 10 डिवीजनों में जैव विविधता प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। “मणिपुर की मछलियां” नामक एक पुस्तिका 2021–22 में प्रकाशित हुई थी।

12.4.16. मेघालय

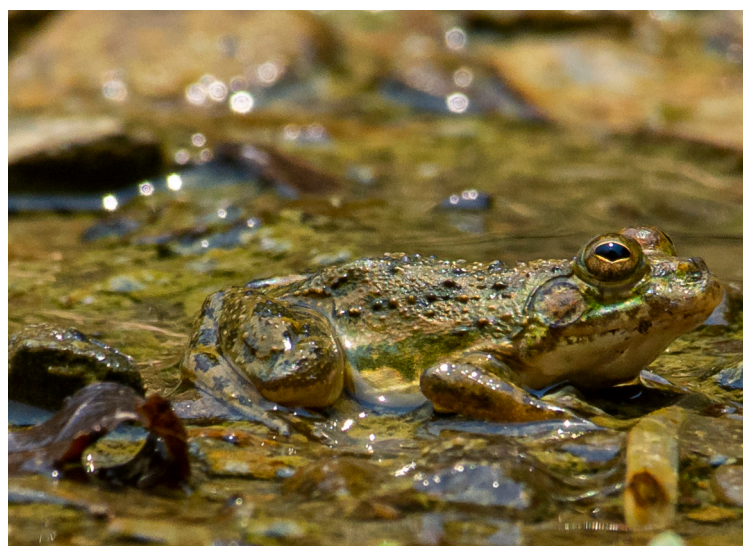
मेघालय जैव विविधता बोर्ड (एमबीबी) ने इस अवधि में दो बैठकें आयोजित कीं और बोर्ड का पुनर्गठन किया। इस अवधि के दौरान एमबीबी द्वारा मेघालय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2017–2030 और मेघालय के फूल संयंत्र नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। आईडीबी 2021 को विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के सहयोग से वर्चुअल मोड में मनाया गया। ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। एमबीबी ने बीएमसी के गठन, पीबीआर तैयार करने और एबीएस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए राज्य के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में बीएमसी सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बीडी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी वन अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर



वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री जेम्स पीके संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के सेलसेला ब्लॉक में लाभार्थी बीएमसी को एबीएस फंड वितरित किया। बोर्ड ने डीएफओ कार्यालय, जयंतिया हिल्स और शांगफुंग पोहशनोंग बीएमसी, वेस्ट जयंतिया हिल्स के सहयोग से भारत की नदियों का उत्सव मनाकर आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया।

12.4.17. मिजोरम

मिजोरम जैव विविधता बोर्ड ने आईडीबी 2021 के अवसर पर सरीसृप, उभयचर, मछलियों, तितलियों और ऑर्किड की विभिन्न दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों पर पोस्टरों का –5 सेट जारी किया। आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास में स्वदेशी ऑर्किड और मछलियों पर ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें नकद पुरस्कार और विजेताओं के



बीच प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवधि के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास खंडों में 10 बीएमसी के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवधि में 7 ग्रामीण विकास खंडों के 10 बीएमसी में पीबीआर के क्षेत्र सत्यापन और सुधार के लिए सीएएमपीए से वित्तीय सहायता का उपयोग किया गया था।

12.4.18. नागालैंड

बोर्ड ने इस अवधि में दीमापुर, मोन, किफिरे, तुएनसांग और लोंगलेंग जिलों के बीएमसी के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के संचालन पर वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया था। कोहिमा



जिले के कशान्यु, सेहेमा, चीचामा, फेंशुन्यू और टीचुमा में बीएमसी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए अक्टूबर-नवंबर, 2021 के दौरान वोखा जिले के पांगती, लखुती, एलुन्यु और एंगलान में और फेक जिले के लेशेमी में। नागालैंड एसबीबी ने राज्य में बीडी अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन को उजागर करने के लिए पेरेन, वोखा, फेक और कोहिमा जिलों में आयोजित जिला योजना और विकास बोर्ड की बैठकों में भाग लिया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एनएसबीबी ने बीएमसी के गठन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए जुन्हेबोटो जिले में ग्राम स्तरीय बैठक आयोजित की है। बोर्ड ने 01.08.2021 को जुन्हेबोटो जिले के सुखई गांव में आयोजित दूसरे नागालैंड क्षेत्रीय पूर्वी हिमालयी प्रकृति विज्ञान फोरम में भाग लिया था

12.4.19. उडीसा

रिपोर्टिंग अवधि में, उडीसा ने जैव विविधता बोर्ड की एक बैठक आयोजित की और स्थानीय उपयोगकर्ताओं द्वारा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए धारा 23 (बी) के तहत 3 आवेदनों को मंजूरी दी। मार्च 2022 के अंत तक, सभी 7256 स्थानीय निकायों में बीएमसी का गठन किया गया है।



2021–22 के दौरान कुल 7083 पीबीआर तैयार किए गए हैं। उड़ीसा की जैव विविधता पर एक वीडियो वृत्तचित्र तैयार किया गया है और इस अवधि के दौरान ओडिशा में जंगली जानवरों के हैंडलिंग, बचाव और रिहाई पर 5 संचार सामग्री प्रकाशित की गई है। राज्य में बीएमसी के लिए आठ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उड़ीसा के 25 इकोटूरिज्म स्थलों के लिए इको-गाइड के लिए 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

12.4.20. पंजाब

पंजाब जैव विविधता बोर्ड (पीबीबी) की आठवीं बैठक 13.10.2021 को पंजाब सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से 20 से 26 मई, 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से 30 व्यक्तिगत कार्यक्रमों/सत्रों सहित 9 कार्यक्रम आयोजित किए। पीबीबी ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (डीआरडीपी) और स्थानीय सरकार विभाग (डीएलजी), पंजाब सरकार के अधिकारियों के लिए पीबीआर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित वर्चुअल जागरूकता सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। पीबीबी ने पीएससीएसटी के सहयोग से 25–26





मई 2021 को "जलवायु परिदृश्य में राज्य के खतरे वाले जीवों का संरक्षण" पर विशेषज्ञ व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया। बीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए एनबीए की वित्तीय सहायता से 53 जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें ब्लॉक स्तरीय बीएमसी के लिए 6 कार्यक्रम शामिल हैं।

पीबीबी ने एशियाई जल पक्षी गणना- 2022 की पहल के तहत रामसर आर्द्रभूमि फ्लेशोपुर मियानी, गुरदासपुर में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सहयोग से 12.02.2022 को जल पक्षी गणना आयोजित की, जिसमें आर्द्रभूमि के आसपास स्थित 5 गांवों के बीएमसी सदस्यों की भागीदारी थी।

12.4.21. राजस्थान

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी। राज्य में कुल 11,716 बीएमसी में से, 1310 बीएमसी स्थापित किए गए थे और रिपोर्टिंग अवधि में 6719 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है। राजस्थान एसबीबी ने एक वेबिनार आयोजित करके आईडीबी 2021 मनाया और विभिन्न जिलों में विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया।

1 2.4.2 2. सिक्किम

सिक्किम जैव विविधता बोर्ड ने पीबीआर के प्रलेखन के लिए बीएमसी और पीबीआर समन्वयकों के साथ नियमित, ऑनलाइन बैठकें कीं। बीएमसी के लिए कई संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईडीबी 2021 के उत्सव के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया और छात्रों ने इस अवसर पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सिक्किम एसबीबी का कामकाज काफी हद तक प्रभावित हुआ।

1 2.4.2 3. तमिलनाडु

तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड ने रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान केवल एक बैठक बआयोजित की। अब तक स्थापित 13608 बीएमसी में से 2021-22 के दौरान एक ग्राम स्तरीय बीएमसी का गठन किया गया था। बोर्ड ने व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 (बी) के तहत 15 आवेदनों को मंजूरी दी है। तमिलनाडु जैव विविधता बोर्ड ने ष्म समाधान का हिस्सा हैं विषय पर एक वेबिनार आयोजित करके आईडीबी 2021 मनाया और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया। मॉडल बीएमसी के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। समुद्री संसाधनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य बोर्ड द्वारा 8 जून, 2021 को वर्चुअल मोड में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। एनबीए की वित्तीय सहायता से टीएनबीबी द्वारा तमिलनाडु के फूल पौधे नामक एक संकलन प्रकाशित किया गया था।

1 2.4.2 4. तेलंगाना

तेलंगाना एसबीबी ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की सफलता की कहानियों और बीएमसी में राचाबांडा के कार्यान्वयन पर दो लघु वीडियो विकसित किए। बोर्ड ने जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। टीएसबीबी ने नलगोंडा जिला परिषद बीएमसी के सहयोग से इस अवधि के दौरान जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 विभिन्न विषयों और आयु समूहों के लगभग 300 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ वेबिनार, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके ऑनलाइन मनाया गया। इस अवसर पर बोर्ड ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक पीबीआर और जैव विविधता चौपाल का शुभारंभ किया। राज्य बोर्ड ने बीडी अधिनियम, 2002 पर वर्चुअल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायत अधिकारियों के लिए पीबीआर तैयार करने का भी आयोजन किया था। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर-आईसीएआर) के सहयोग से पशु आनुवंशिक संसाधनों की विशेषता और प्रलेखन पर एक इंटरफेस बैठक आयोजित की गई। तेलंगाना बोर्ड ने घरेलू प्रजातियों के संरक्षण और एबीएस के लिए प्रतिकृति तंत्र के लिए आईबीए 2021 के तहत दो राष्ट्रीय स्तर की मान्यताएं प्राप्त किया था।

12.4.25. त्रिपुरा

जैव विविधता बोर्ड के कामकाज पर चर्चा करने के लिए 23 मार्च 2022 को त्रिपुरा शासी निकाय की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस अवधि के दौरान जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए



जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 (बी) के तहत 20 आवेदनों को अनुमोदित किया गया था। 2021 में, त्रिपुरा के दो बीएमसी को सर्वश्रेष्ठ बीएमसी की श्रेणी के तहत एबीएस और पूर्व बदलाबाड़ी के प्रतिकृति तंत्र के लिए इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड्स, दिवनचिंगरामबारी से सम्मानित किया गया था।

12.4.26. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने मार्च 2022 के अंत तक 59407 पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया है और हिंदी में एबीएस पर एक विवरणिका और राज्य के विभिन्न जैव संसाधनों पर 20 रंगीन यात्रियों के साथ फ्लैटिज ट्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश नामक एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की है। आईडीबी 2021 को एनविस सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्डलाइफ साइंस और जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के विभाग के सहयोग से वर्चुअल रूप से मनाया गया। बोर्ड ने लखनऊ विश्वविद्यालय और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जैसे एनजीओ के सहयोग से विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, गिद्ध जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वन्यजीव सप्ताह और आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है। बोर्ड ने 12 फरवरी, 2022 को एशियाई जल पक्षी गणना में भी भाग लिया और राज्य भर के 9 जिलों से फील्ड अवलोकन किया। बोर्ड ने लखनऊ के वन्यजीव विज्ञान विश्वविद्यालय के एनविस संसाधन भागीदार के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करके आईडीबी 2021 का आयोजन किया। बोर्ड ने 28 जनवरी, 2022 को यूपी राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार की थी और जारी की थी।

12.4.27. उत्तराखंड

इस अवधि के दौरान उत्तराखंड में दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। यूके एसबीबी ने राज्य के सभी 79991 स्थानीय निकायों में बीएमसी बनाने का कार्य पूरा किया था। यूकेएसबीबी के पास एक कानूनी मामला 93ध2019 (दिव्य फार्मसी बनाम भारत संघ और अन्य) लंबित है और बोर्ड ने अधिनियम की धारा 23 (बी) के तहत 52 आवेदनों को मंजूरी दी है। 2021-22 की अवधि के दौरान गंगोत्री और गोविंद घाटियों में बीएमसी के साथ कई परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

12.4.28. पश्चिम बंगाल

राज्य के 3830 बीएमसी में से 2 ग्राम बीएमसी का गठन किया गया था और रिपोर्ट अवधि के दौरान 91 पीबीआर तैयार किए गए हैं। एसबीबी की वेबसाइट ने विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों से



संबंधित पांच नए पत्रों की मेजबानी की। पूर्वी मेदिनीपुर में पताशपुर बीएमसी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईबीए 2021 का प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए संस्थाओं को धारा 23 (बी) के तहत 4 आवेदनों और धारा 24 (1) के तहत 4 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आईडीबी 2021 वर्चुअल मोड में मनाया गया और बोर्ड ने बीडीओ और पंचायत अधिकारियों को बीडी अधिनियम, 2002 और उनकी भूमिकाओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। राज्य बोर्ड ने स्कूलों और कॉलेजों में बटरप्लाई गार्डन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और राज्यों के विभिन्न ब्लॉकों में जैव विविधता पार्क विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी।

12.4.29. जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर की नवगठित जैव विविधता परिषद ने इस रिपोर्टिंग अवधि में 5 अक्टूबर 2021 को एक बैठक आयोजित की है। इसके अलावा परिषद ने पीबीआर का मूल्यांकन करने, सरकारी



अधिकारियों के जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण, पीबीआर को ई-पीबीआर में बदलने और जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए चार समितियों का गठन किया है। संघ शासित प्रदेशों में कुल 4644 बीएमसी में से 7 बीएमसी स्थापित किए गए थे और रिपोर्ट के तहत अवधि में 5 पीबीआर तैयार किए गए हैं। जैव विविधता परिषद ने जम्मू-कश्मीर के जैव विविधता संरक्षण, जंगली फलों, पक्षियों और पेड़ों से संबंधित विभिन्न विषयों पर 7 ब्रोशर विकसित किए। इस अवधि में पीबीआर और जैव विविधता अधिनियम को अद्यतन करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जम्मू-कश्मीर यूटीबीसी ने सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स और स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए आईसीएलआई के साथ सहायता में हितधारकों के साथ परामर्श भी किया।

1 2.4.3 0. लक्षद्वीप

यूटीबीसी ने आईडीबी आयोजन के एक हिस्से के रूप में द्वीप स्तर के बीएमसी में फोटोग्राफी, पेंटिंग और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

1 2.4.3 1. लद्दाख

केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लद्दाख की जैव विविधता परिषद ने 19 जनवरी 2022 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। इस अवधि के दौरान, परिषद ने यूटी में अब तक गठित 100 बीएमसी में से 17 बीएमसी की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (आईडीबी) 2021 को क्विज, पेंटिंग और वीडियोग्राफी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके वर्चुअल मोड में मनाया गया। स्थानीय लोगों ने लद्दाख की जैव विविधता पर लोक विद्या और लोक गीतों के पाठ में भी भाग लिया।

अनुलग्नक

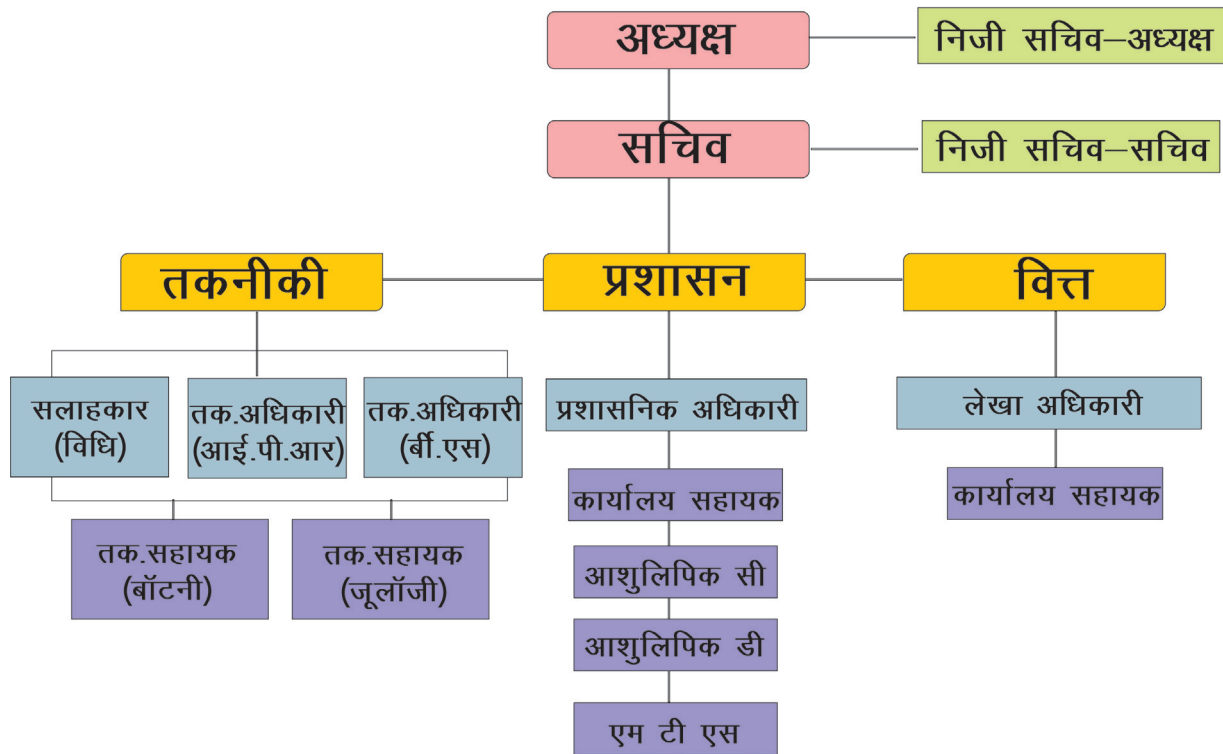
अनुलग्नक 1

प्राधिकरण के अध्यक्ष

जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 (4ए) के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष	अवधि
डॉ. वि.बि. माथुर	1 सितंबर 2019— वर्तमान तक
डॉ. ए.के. जैन, आईएएस	09 फरवरी 2018 — 31 अगस्त 2019
डॉ. (सुश्री). बी. मीनाकुमारी	09 फरवरी 2016 — 08 फरवरी 2018
श्री हेमपांडेय, आईएएस	06 फरवरी 2014 — 08 फरवरी 2016
डॉ. बालकृष्ण पिसुपति	12 अगस्त 2011 — 05 फरवरी 2014
श्री एम.एफ. फारुकी, आईएएस	11 नवंबर 2010 — 11 अगस्त 2011
डॉ. पी.एल. गौतम	31 दिसंबर 2008 — 3 नवंबर 2010
श्री पी.आर. मोहंती, आईएएस	01 अक्टूबर 2008 — 31 दिसंबर 2008
श्री जी.के. प्रसाद, आईएएस	20 मई 2008 — 30 सितंबर 2008
डॉ. एस. कन्नैयन	20 मई 2005 जव 19 मई 2008
श्री विश्वनाथ आनन्द, आईएएस	01 अक्टूबर 2003 — 14 जुलाई 2004

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संगठन चार्ट



उपरोक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा, एनबीए नियम 12(6) के अनुसार परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी और विविध मामलों में सहायता करने के लिये समर्थित है।

अनुलग्नक 3

भर्ती सहित कर्मचारियों की संख्या

पद	मंजूर	भरी हुई	रिक्त
अध्यक्ष	1	1	.
सचिव	1	1	.
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	.
निजी सचिव . अध्यक्ष	1	1	.
लेखा अधिकारी	1	1	.
तकनीकी अधिकारी	2	2	.
सलाहकार (विधि)	1	1	.
निजी सचिव . सचिव	1	0	1
कार्यालयधक्कंप्यूटर सहायक	2	2	.
तकनीकी सहायक	2	2	.
आशुलिपिक –सी	1	1	.
आशुलिपिक –डी	1	1	.
एमटीएस	1	1	.
योग	16	15	1

अनुलग्नक 4

नागरिक चार्टर

1.1 दृष्टि

भारत की समृद्ध जैव विविधता और लोगों की भागीदारी के साथ जुड़े ज्ञान का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए लाभ साझा करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

1.2 मिशन (ध्येय)

जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैव विविधता नियम, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

1.3 अधिदेश

- ★ भारत के जैव-संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करना और जैव-संसाधनों और ६ या संबद्ध ज्ञान के दुरुपयोग की रोकथाम में योगदान देना
- ★ संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित नीति और समर्थन प्रदान करना।
- ★ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश, विस्तार सामग्री तैयार करके और हितधारकों तक पहुंचने और उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकर गतिविधियों को विनियमित करना।
- ★ अन्य देशों में व्यक्तियों को बौद्धिक संपदा अधिकार या भारत के किसी भी जैविक संसाधन या भारतीय मूल के ऐसे जैविक संसाधनों से जुड़े ज्ञान के अनुदान का विरोध करने के उपाय करना।
- ★ राज्य सरकारों को उनके क्षेत्र-विशिष्ट जैव विविधता के संबंध में सलाह देना और विरासत स्थलों को अधिसूचित करना और उनके प्रबंधन और सतत उपयोग के लिए उपाय सुझाना।
- ★ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने के लिए मार्गदर्शन, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ★ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

1.4 हितधारक

जैव विविधता एक बहु-विषयक विषय है जिसमें विभिन्न गतिविधियां, पहल और जैव विविधता में कई हितधारक शामिल हैं जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत राज संस्थान और नागरिक समाज संगठन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, अनुसंधान और विकास संस्थान, विश्वविद्यालय और बड़े पैमाने पर जनता शामिल हैं।

1.5 प्रस्तावित सेवाएं

- ★ जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से संबंधित संवर्धन।
- ★ राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियों का समन्वय।
- ★ तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके अध्ययन और अनुकूलक ६ परिचालन जांच और आवश्यक अनुसंधान को प्रायोजित करना और आवश्यक पाए गए अध्ययनों को चालू करना।
- ★ जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- ★ अनुसंधान के परिणामों को हस्तांतरित करने, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने, अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए एक्सेस किए गए जैव-संसाधन के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए भारत में होने वाले जैविक संसाधनों या संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
- ★ सभी हितधारकों द्वारा जैव-संसाधन तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और पारदर्शी रूप से जैव विविधता के उपयोगकर्ताओं और संरक्षकों के बीच समान लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करना।

1.6 शिकायत निवारण तंत्र

प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए नामित अधिकारी है। कोई भी शिकायत इन्हें संबोधित की जा सकती है—

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,
टाइसल बायो पार्क,
5 वीं मंजिल, सीएसआईआर रोड, तारामणि,
चेन्नई -600113
फोनरू 044-22542777, 1075य विस्ताररू 27
फैक्सरू 044-22541200
ई-मेल: admn@nba.nic.in

1.7 नागरिकों/ग्राहकों से अपेक्षाएं

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना को आत्मसात करना और बढ़ावा देना और प्रकृति के कानूनों के प्रति सम्मान करना और मानव जाति के समग्र हित में एनबीए और एसबीबी द्वारा गतिविधियों को पूरा करने के लिए सहयोग देना।

अनुलग्नक 5

लेखा परीक्षा रिपोर्ट



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002

1742

DGA/ESD/EA/SAR/NBA Chennai/2021-22/374

दिनांक

सेवा में,

30 SEP 2022

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

विषय: Separate Audit Report on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai
for the year 2021-22

महोदय,

मुझे वर्ष 2021-22 के लिए National Biodiversity Authority, Chennai का पृथक लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

AO/Account Officer

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी
निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन
ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा
दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की
तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

Di. V. B. Mathur
उप निदेशक (पर्या.ले.)

11/10/2022

22/09/2022
22/09/2022

Accounts

5/10/22

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year ended 31st March 2022

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Biodiversity Authority, Chennai as at 31 March 2022 and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of Biological Diversity Act. These financial statements are the responsibility of the National Biodiversity Authority, Chennai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc., Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Biodiversity Authority, Chennai as required under Section 29(2) of the Biological Diversity Act, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) Based on our audit, we further report that Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance

Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Biodiversity Authority, Chennai as at 31st March 2022.

b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

A. Balance Sheet

1. Corpus/Capital Fund and Liabilities

1.1. Schedule-7-Current Liabilities and Provisions

Establishment Expenditure

Understatement of Provisions for Outstanding Salaries, New Pension Scheme and Bonus

NBA is following accrual system of accounting as mentioned in Schedule-24 -Significant Accounting Policies. It is however observed that no provision was provided in Schedule-7 of Balance Sheet for March 2022 salary of Rs.16,66,799.00 paid in April 2022. Provision for amount of Rs.2,53,755.00 to be paid to statutory authorities in respect of New Pension

Scheme for the month of March 2022 paid in April 2022 was not provided. Provision for bonus of Rs.48356.00 for the year 2021-22 to be paid in the year 2022-23 was also not provided. Hence provision for Establishment Expenditure under Schedule-7-Current Liabilities and Provisions in the Balance sheet was understated to the extent of Rs.19.68 lakh.

Administrative expenditure

Understatement of Provision for Outstanding Wages.

The provision for outstanding wages was understated to the extent of Rs.1,72,685.00. Hence the provision for Other Administrative Expenditure under Schedule-7-Current Liabilities and Provisions in the Balance Sheet was understated to the extent of Rs.1,72,685.00.

B. General

1.Depreciation: NBA stated in Schedule-24 – Significant Accounting Policies that Depreciation is provided on Straight Line Method(SLM) as per the rates specified in the Income Tax Act ,1961, as per MOEF & CC circular No.1/4/2011- Misc dt 25.01.2011. It was however observed that NBA was calculating depreciation on the net value of Assets for the years 2021-22, 2020-21 and 2019-20 in contravention to its stated accounting policy.

2. Dormant Accounts.

NBA in its Annual Accounts depicted two Savings Accounts namely NBA-UNEP GEF ABS and ASEAN-INDIA Co-Operation projects. These two accounts were opened by NBA for implementation of projects sponsored by UNEP-GEF and ASEAN-INDIA respectively. Both the projects were completed in December 2019 and June 2020 respectively.

NBA however did not refund the unspent balance and closed the accounts so far. As the projects were already completed and no expenditure could be incurred after completion of the project, these accounts need to be closed forthwith. This was pointed out during the earlier audit also.

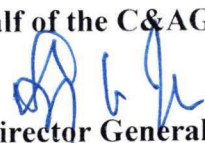
3. Non-receipt of utilization certificate.

Audit noticed that out of 1215 grants amounting to Rs. 87.64 crore released during last 16 years to State Bio-Diversity Boards and other organizations for which utilization certificate are due in the year 2021-22. Utilization certificates were received only in respect of 1139 grants amounting to Rs.79.21 crore. Utilization certificates for 76 grants amounting to Rs. 8.43 crore were not received as of March 2022.

D. Grants-in-aid

During the year 2021-22, NBA received Grants-in-aid of Rs.16.13 crore. This included unspent balance of Rs.0.61 crore revalidated from previous year. NBA could utilize a sum of Rs. 13.70 crore leaving a balance of Rs.2.43 crore as on March 2022.

For and on behalf of the C&AG of India


Director General of Audit
(Environment & Scientific Departments)

Place: New Delhi

Date: 30/9/22

Annexure-I

1. Adequacy of Internal Audit

Internal Audit of NBA was conducted up to March 2019. As of March 2021, three reports and 12 paras were outstanding. Out of 12 paras, 4 paras pertain to the report for the period 2012-13 to 2016-17 and 2 paras pertain to the report for the period 2003-04 to 2008-09. Thus 2 paras are pending for more than five years now for want of compliance from NBA.

2. Adequacy of Internal Control System

Audit noticed that functions of Drawing and Disbursing Officer and functions of pre-check and passing of payment was performed by the same official namely Accounts Officer. As a result, there was no separation of duties of Drawing and Disbursing Officer and internal audit functions.

3. System of Physical Verification of Fixed assets

NBA conducted physical verification of assets for the year 2021-22 and in the process identified 155 items of assets as surplus, obsolete and unserviceable. The purchase value of these item worked out to be Rs.38.88 lakh. These items, however were not disposed off by NBA. The assets so identified were therefore lying idle occupying valuable space. The salvage value of these items also being eroded day by day.

4. System of physical verification of inventory

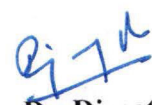
Physical verification of inventory was carried out for the year 2021-22.

5. Regularity in payment of statutory dues

Test check revealed no outstanding statutory dues with NBA as of March 2022.

6. Assets Register

Balance sheet showed various kinds of assets worth Rs.51.55 lakhs as of March 2022. NBA, however did not maintain Assets Register the closing balance of which duly tallied with that shown in the balance sheet and made available to audit. Audit therefore could not ensure the correctness of value of assets as shown in the balance sheet.


Dy. Director

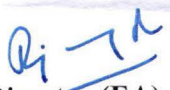
Annexure -A

A. Balance Sheet

1. Corpus/Capital Fund and Liabilities

1.1. Schedule-1-Capital Fund

Purchases of Fixed Assets – Treated as Capital Grant was shown as Rs.20,71,921.00 in Schedule-1_Capital Fund. The Purchase of Fixed Assets shown in Schedule-8 –Fixed Assets was Rs.20,83,921.00. Hence Capital Fund is understated to the extent of Rs.12000.00 and understatement of current liabilities by the same amount.


Dy. Director (EA)



SANJAY KUMAR JHA
DIRECTOR GENERAL

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

DGA (ESD)/EA/SAR/NBA/2021-22/377
Dated:

Dear Dr. Mathur,

30 SEP 2022

We have audited the annual accounts of National Biodiversity Authority, Chennai for the year 2021-22 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 30/9/22. During the course of audit, some deficiencies were noticed as per annexure- A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

with warm regards,

Yours sincerely,

Encl: As above

Dr. V. B. Mathur,
Chairman,
National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park,
CSIR, Road, Taramani,
Chennai - 600 113

S/Chairman/22
07/10/22

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फेक्स / Fax : +91-11-23702353

एनबीए के बारे में

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए की गई थी। एनबीए एक सांविधिक निकाय है और यह जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक, विनियामक और सलाहकार का कार्य करता है।

जैव विविधता अधिनियम (2002) एक विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को अनिवार्य करता है, जिसमें एनबीए जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनबीए राज्य सरकारों को धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को विरासत स्थलों के रूप में चुनने और ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के उपायों में भी सलाह देता है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध प्रदान करके भी विनियमित करता है। स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) पर्यावासों के संरक्षण, भू-भागों, लोक किस्मों और किस्मों के संरक्षण, पालतू स्टॉक और जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लों और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के क्रॉनिकलिंग सहित जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

एनबीए का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है और यह प्राधिकरण, सचिवालय, एसबीबी, बीएमसी और विशेषज्ञ समितियों के साथ एक संरचना के माध्यम से अपना जनादेश प्रदान करता है। अपनी स्थापना के बाद से, एनबीए ने 29 राज्यों में एसबीबी के निर्माण का समर्थन किया है और स्थानीय स्तर पर 2,76,836 बीएमसी की स्थापना की सुविधा प्रदान की है और पूरे देश में 2,66,102 पीबीआर तैयार किए गए हैं।

Address for Communication

The Secretary,

National Biodiversity Authority,
5th Floor, TICEL Bio Park, CSIR Road,
Taramani, Chennai - 600 113.

URL : www.nbaindia.org

Email: secretary@nba.nic.in

Phone: 044 2254 2777